भाग-दो अध्याय-चार

निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

कार्यकारी सारांश

भारत शासन द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) राज्य के 15 पिछड़े जिलों में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए वर्ष 2006-07 में लागू की गई। इस योजना में राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस व्ही वाय) जो वर्ष 2003-06 के दौरान लागू थी, के अंतर्गत पिछड़ा जिला पहल कार्यक्रम (बी डी आई) के तहत् पूर्व मे शामिल आठ जिलों को भी वर्ष 2006-07 से बी आर जी एफ मे सम्मिलित किया गया। राज्य शासन को वर्ष 2007-13 के दौरान बी आर जी एफ के तहत् 15 पिछड़े जिलों के लिए राशि ₹ 1401.07 करोड़ प्राप्त हुई जिसमें से 31 मार्च 2013 तक ₹ 258.97 करोड़ खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-07 के दौरान भारत शासन से आर एस व्ही वाय के अंतर्गत राशि ₹ 360 करोड़ प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 2003-12 के दौरान ₹ 348.63 करोड़ का व्यय किया गया।

बी आर जी एफ योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त निधि के अभिसरण के मुख्य मुद्दे से पिछड़े जिलों मे विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए एकीकृत जिला योजना को तैयार किया जाना नहीं पाया गया। योजना के अंतर्गत प्रावधानित संस्थागत व्यवस्था का निर्धारित सीमा तक ग्राम पंचायत और जिला योजना समिति (डी पी सी) स्तर पर अभाव था। वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करने एवं भारत शासन को प्रस्तुतीकरण में 64 से 233 दिनों तक का विलम्ब हुआ। राज्य शासन द्वारा अभी तक स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए सामाजिक अंकेक्षण और पीयर रिव्यू जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया। राज्य शासन द्वारा गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए मापदण्ड और जिला विशेष के पिछड़ेपन सूचकांको को ध्यान मे रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निधि के आवंटन को भी निर्धारित नहीं किया गया। भागीदारी के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजनायें तैयार नही किये गये थे। वर्ष 2007-12 के दौरान बी आर जी एफ के अंतर्गत पृथक से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उप कार्ययोजना भी तैयार नहीं की गई। राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतों को राशि ₹ 686.62 करोड़ को 14 से 77 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया। योजना निधि ₹ 117.51 लाख का अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन और ₹ 1.50 करोड़ का जमा किया जाना पाया गया। योजना का क्रियान्वयन 442 अमान्य कार्यों के लिए ₹ 21.69 करोड़ की स्वीकृति, निष्क्रिय परिसम्पत्ति और अपूर्ण कार्यों पर अनुचित व्यय तथा ठेका एवं अनुबंध प्रबंधन मे पारदर्शिता की कमी की वजह से प्रभावित हुआ। निगरानी अपर्याप्त थी तथा योजना के परिणाम का मूल्यांकन नहीं किया गया।

4.1.1 प्रस्तावना

भारत शासन द्वारा बी आर जी एफ योजना वर्ष 2006-07 में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के तहत् क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, देश के 250 पिछड़े जिलों मे गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान के अलावा मुश्किल अधोसंरचना और अन्य विकासों के अंतराल को कम करते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास को केन्द्रित करने हेतु लागू की गयी। छत्तीसगढ़ मे आरम्भ मे 13 जिलों[1] को शामिल किया गया था। इसके उपरांत दन्तेवाड़ा और बस्तर से गठित दो और जिलों बीजापुर और नारायणपुर को भी शामिल किया गया तथा इन जिलों को वर्ष 2010-11 से निधि का आबंटन किया गया। इन जिलों मे राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस व्ही वाय) जो वर्ष 2003-06 के दौरान लागू थी, के अंतर्गत पिछड़ा जिला पहल कार्यक्रम (बी डी आई) के तहत् पहले से शामिल राज्य के आठ जिले[2] को भी वर्ष 2006-07 से बी आर जी एफ में सम्मिलित किया गया। दोनो योजनाओं का उद्देश्य मुश्किल अधोसंरचना और अन्य विकासों के अंतराल को कम करने के साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास को केन्द्रित करना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था। बी आर जी एफ योजना का उद्देश्य मौजूदा विकासों को विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों के साथ अभिसरण से विकास की प्रक्रिया मे तेजी लाना और उपयुक्त क्षमता निर्माण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय शासन को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय निकायों को योजना क्रियान्वयन तथा कार्ययोजना की निगरानी के लिए व्यवसायिक सहायता प्रदान के लिए एक क्षमता निर्माण घटक भी था। बी आर जी एफ योजना के दिशानिर्देश भारत शासन द्वारा जनवरी 2007 में जारी किये गये थे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की उप कार्ययोजना को शामिल किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए नीचे स्तर से जिला स्तर तक सहयोगितापूर्ण नियोजन के माध्यम से एकीकृत जिला कार्ययोजना तैयार की जानी थी।

4.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में बी आर जी एफ योजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए सी एस) की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी आर डी) नोडल विभाग है। योजना के तहत् कार्यों का क्रियान्वयन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और लाइन विभाग/क्रियान्वयन एजेंसियों[3] के माध्यम से किया गया। शहरी क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया गया। जिला योजना समिति (डी पी सी) का गठन भारत के संविधान की धारा 243 जी, डब्ल्यू तथा जेडडी के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत जिला कार्ययोजना के अनुमोदन और जिले स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) जिला कार्ययोजना की जाँच, नीतियाँ/ दिशानिर्देश बनाने तथा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए है।

---

[1] बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा

[2] बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, राजनांदगांव और सरगुजा

[3] कृषि, मत्त्स्य, उद्यानिकी, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, पशुचिकित्सा, नगरीय निकायों इत्यादि

4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

बी आर जी एफ योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था:-

- निर्दिष्ठ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना की पर्याप्तता और दक्षता, निगरानी तथा संस्थागत व्यवस्थायें;
- वित्तीय प्रबंधन दक्षता;
- निर्दिष्ठ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के क्रियान्वयन की दक्षता और
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा दक्षता ।

4.1.4 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मुख्य मापदण्ड थे :

- बी आर जी एफ दिशानिर्देश
- विभाग की वार्षिक कार्ययोजना
- छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता और
- भारत शासन और राज्य शासन द्वारा समय-समय से जारी निर्देश और परिपत्र।

4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर से दिसम्बर 2013 के दौरान आर एस व्ही वाय के लिए 2003-12[4] तथा बी आर जी एफ के लिए वर्ष 2007-13 की अवधि को शामिल करते हुए राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी आर डी), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई आर डी), और सात नमूना जिलों[5] (स्ट्रेटिफाइड रेण्डम सेम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेन्ट के आधार पर 46 प्रतिशत चयनित) के जिला पंचायतों के साथ ही 14 जनपद पंचायतों[6], 140 ग्राम पंचायतों (***परिशिष्ट-4.1***) प्रत्येक (नमूना जाँच किये गये जनपद पंचायत के अंतर्गत-10), 30 नगरीय निकायों[7] और 13 लाइन विभाग[8]

---

[4] आर एस व्ही वाय के अंतर्गत वर्ष 2003-08 के दौरान प्राप्त निधि का उपयोग वर्ष 2011-12 तक किया गया

[5] बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा

[6] बकावंड, बतौली, भानुप्रतापपुर, बिल्हा, डोंगरगांव, गीदम, खैरागढ़, खरसिया, मरवाही, नरहरपुर, पुसौर, राजपुर, सुकमा और तोकापाल

[7] नगर निगम-बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा, नगर पालिका परिषद- डोंगरगढ़, कांकेर, खरसिया, किरंदूल और कोंडागाँव, नगर पंचायत- अम्बागढ़ चौकी, बरमकेला, बस्तर, भानुप्रतापपुर, बिल्हा, विश्रामपुरी, बोदरी, चरामा, दन्तेवाड़ा, डोंगरगाँव, गीदम, घरघोड़ा, केशकाल, खैरागढ़, किरंदूल, किरोड़ीमल नगर, लोरमी, मल्हार, मुंगेली, नरहरपुर, पखांजूर, रतनपुर, सरगांव, सरिया, सुकमा, तखतपुर और तिफरा

अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई। लेखापरीक्षा दल और लेखा परीक्षित इकाइयों के अधिकारियों के साथ बी आर जी एफ के अंतर्गत निर्मित 40 परिसम्पत्तियों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। आवश्यकता अनुसार निर्मित परिसम्पत्तियों के फोटोग्राफ भी लिये गये। योजना के अंतर्गत मार्च 2013 तक खर्च की गई कुल राशि ₹ 1285.97 करोड़ में से राशि ₹ 748.31 करोड़ (58 प्रतिशत) का व्यय निष्पादन लेखापरीक्षा मे शामिल इकाइयों द्वारा किया गया। ए सी एस, पी आर डी के साथ दिनांक 27 सितम्बर 2013 को प्रवेश सम्मंत्रणा में लेखा परीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति की चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.6 योजना

4.1.6.1 बेस लाइन सर्वेक्षण न कराया जाना

बी आर जी एफ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिलों को व्यवसायिक नियोजन सहायता को सुनिश्चित करते हुए उसके पिछड़ेपन के लिए एक डायग्नोस्टिक अध्ययन तथा बेस लाईन सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। सर्वेक्षण लापता बुनियादी सुविधाओं के अंतराल की पहचान और समयावधि में उन्हें सुलझाने का उपाय था। बस्तर के अतिरिक्त जहाँ वर्ष 2007-08 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था किन्ही भी नमूना जाँच जिलों में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। इसके स्थान पर वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/जिला प्राधिकारियों/नगरीय निकायों/निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित परियोजनाऐं वार्षिक कार्ययोजना में शामिल की गई थी। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की वार्षिक कार्य योजनाऐं तकनीकी सहायता संस्थानों (टी एस आई) को संलग्न कर तैयार किये गये किन्तु किसी भी नमूना जाँच जिलों में भारत शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक उत्पादकता, विकास, रोजगार, आय इत्यादि के रूप में परियोजनावार परिणाम नहीं दर्शाये गये। बेस लाइन सर्वेक्षण के अभाव में वार्षिक कार्ययोजना क्षेत्र के विकास के लिए सेक्टरवार परियोजना की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्ध्ता को सुनिश्चित किये बिना तैयार तथा क्रियान्वित किये गये।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ और राजनांदगांव ने कहा (नवंबर एवं दिसम्बर 2013) कि इस संबंध में राज्य शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। सी ई ओ, कांकेर एवं बिलासपुर ने कहा (अक्टूबर एवं नवंबर 2013) कि बेस लाईन सर्वेक्षण किया गया था। सी ई ओ, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ने कहा (दिसम्बर 2013) कि बेस लाईन सर्वेक्षण के उपरांत वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की गई। सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया (जनवरी 2014) कि बेस लाईन सर्वेक्षण नही किया गया।

[8] समस्त चयनित जिलों मे कार्यपालन अभियंता- लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, पी एम जी एस वाई और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंचालक- कृषि, उद्यानिकी, पुशचिकित्सा और रेशम, वनमण्डलाधिकारी, प्रबंधक-हैण्डलूम, ग्रामोद्योग एवं क्रेडा

सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ एवं राजनांदगांव के जवाब मान्य नहीं है। बेस लाइन सर्वेक्षण राज्य शासन के विशेष निर्देश के बिना बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना था। सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर और कांकेर के जवाब मान्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया। सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा का जवाब पुष्टि करता है कि वर्ष 2007-12 की अवधि के लिए बेस लाईन सर्वेक्षण नही किया गया।

4.1.6.2 एकीकृत के साथ ही भागीदारी नियोजन का अभाव

एकीकृत जिला कार्ययोजना तैयार नही की गई ।

बी आर जी एफ में विकेन्द्रीकृत नीचे से ऊपर योजना की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभाओं तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रसभा को सुदृढ़ किया जाना है। इसमे पिछड़े जिलों की विकास प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक एकीकृत जिला कार्ययोजना के लिए फ्लेगशिप योजनाओं[9] के तहत् समस्त विकास कार्यों से अभिसरण भी आवश्यक है। पंचायतों एवं निकायों द्वारा तैयार किये गये भागीदारी कार्ययोजनाओ को जिला योजना समिति (डीपीसी) द्वारा एकीकृत जिला कार्ययोजना में समेकित किया गया था और इसमे जिले मे उपलब्ध समस्त वित्तीय संसाधनों को दर्शाया तथा विलम्ब, व्यपवर्तन, दोहरीकरण और लीकेज के बिना उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नानुसार कमियों का पता चलाः

- बिलासपुर जिले में नगर पंचायत, सरगाँव से यद्यपि वर्ष 2010-11 के बी आर जी एफ की वार्षिक कार्ययोजना हेतु राशि ₹ 67 लाख के पाँच कार्यों[10] का प्रस्ताव अप्रैल 2010 में प्राप्त हुए किन्तु दो कार्यों को लिया गया। दो कार्यों में से एक कार्य 'विद्युत व्यवस्था मूल्य ₹ 3.38 लाख' को प्रस्तावित कार्ययोजना से तथा अन्य कार्य 'बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण मूल्य ₹ 2 लाख' जो कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2010-12 के दौरान राशि ₹ 62.50 लाख के 12 कार्यों[11] का प्रस्ताव सी एम ओ, नगर पंचायत, पथरिया से अप्रैल 2010 मे प्राप्त हुआ। उनमें से एक भी कार्य को शामिल नहीं किया गया। आगे यह देखा गया कि दो अन्य कार्य वर्ष (2010-11 मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ₹ 5.50 लाख एवं वर्ष 2011-12 में

---

[9] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, पेय जल योजना, टोटल सेनीटेशन कैम्पैन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास योजना और राष्ट्रीय शहरी अभिकरण मिशन

[10] 1) वार्ड 1 से 12 में पाईप लाइन विस्तार - ₹ 15 लाख, 2) वाटर टैंकर- ₹ 2 लाख, 3) विद्युत व्यवस्था- ₹ 10 लाख, 4) नाली निर्माण- ₹ 20 लाख, 5) सीसी एवं डब्लू बी एम सड़क- ₹ 20 लाख।

[11] वर्ष 2010-11 में 1) मुक्तिधाम मे फेंसिग कार्य-₹ 5 लाख, 2) मुक्तिधाम मे फेंसिंग कार्य-₹ 5 लाख, 3) गोदाम मे फेंसिंग कार्य-₹ 2.50 लाख, 4) आगंन बाड़ी निर्माण-₹ 5 लाख, 5) वार्ड 10 में सामुदायिक भवन-₹ 5 लाख, 6) वार्ड 1 मे सामुदायिक भवन- ₹ 5 लाख और 7) सुलभ शौचालय-₹ 8 लाख तथा वर्ष 2011-12 में 1) मुक्तिधाम-₹ 5 लाख, 2) वार्ड 2 एवं 5 मे सामुदायिक भवन- ₹ 7 लाख, 3) घोरमार तालाब पर पचरी निर्माण-₹ 3 लाख, 4) वार्ड 04 मे पचरी निर्माण- ₹ 3 लाख और 5) वार्ड 3 एवं 6 में पाईप लाइन का विस्तार - ₹ 10 लाख ।

विद्युत खम्भों का विस्तार ₹ 5 लाख) जो प्रस्तावित नहीं थे की स्वीकृति दी गई तथा क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार जिला प्राधिकारियों द्वारा नगर पंचायत के परामर्श के बिना उपरोक्त कार्यों को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया (जनवरी 2014)।

- बिलासपुर जिले मे शहरी क्षेत्र के अतंर्गत वर्ष 2007-12 की वार्षिक कार्ययोजनाओं मे प्राक्कलित राशि ₹ 1.64 करोड़ की दो परियोजनाओं 'दो नग राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र (₹ 24.32 लाख) तथा चार भाग मे एक बाल प्रशिक्षण केन्द्र (₹ 1.40 करोड़) ' शामिल किया गया तथा आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप मे नियुक्त किया गया । अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र के स्थान पर क्लेक्टोरेट परिसर में सभा कक्ष और बाल प्रशिक्षण केन्द्र के स्थान पर एक वृहद सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। जैसा कि **कंडिका 4.1.10.2** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा (नवंबर 2013) विशिष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

- बिलासपुर जिले मे नगर पालिका परिषद, मुंगेली के विभिन्न वार्डो[12] में प्रति आंगनबाड़ी ₹ 3 लाख की अनुमानित लागत के चार नग आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य को वर्ष 2007-08 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया जिसका क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया गया। तथापि उसी मूल्य पर वही कार्य पुनः वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किये गये।

जवाब मे सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर ने कहा (नवंबर 2013) कि वर्ष 2007-08 के दौरान चार आंगनबाड़ी की स्वीकृति नगर पंचायत, मुंगेली को स्वीकृत किये गये थे और अब वह नगर पालिका परिषद बन गई है अतः प्रस्ताव के अनुसार चार आगंनबाड़ी भवन अन्य केन्द्रों के लिए स्वीकृत किये गये।

जवाब मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 के दौरान एक ही वार्ड के लिए एक ही कीमत के साथ आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वर्ष 2009-10 में स्वीकृत राशि अनुपयोगी थी और अक्टूबर 2013 की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार अन्य कार्य के हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित थी।

- कांकेर जिले में सी एम ओ, नगर पंचायत, नरहरपुर के अभिलेखो की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करने हेतु यद्यपि राशि ₹ 2.47 करोड़ मूल्य के नौ कार्य[13] का प्रस्ताव फरवरी 2012 में

---

[12] कबीर वार्ड, जवाहर वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड और ठक्कर बापा वार्ड

[13] वार्ड क्रमांक 4,3,9,7 एवं 14 में सीसी रोड- ₹ 52.50 लाख, 2) वार्ड 3 एवं 15 में पुलिया का निर्माण- ₹ 88 लाख, 3) वार्ड क्रमांक 12 में आगंनबाड़ी भवन- ₹ 3.50 लाख, 4) वार्ड क्रमांक 4 के आंगनबाड़ी भवन की वाउन्ड्रीवाल- ₹ 2 लाख, 5) वार्ड क्रमांक 1 एवं 15 में सामुदायिक भवन- ₹ 8 लाख, 6) स्वागत द्वार- ₹ 34 लाख, 7) पाइप लाइन का विस्तार- ₹ 15 लाख, 8) 3 नग वाटर टैंक का निर्माण- ₹ 40 लाख और 7 वार्डो में बोरवेल खनन- ₹ 3.50 लाख।

अग्रेषित किया गया था, किन्तु तीन अन्य कार्य (वार्ड क्रमांक 8 एवं 12 में सीसी रोड), जो कि प्रस्तावित नहीं था, की स्वीकृति दी गई।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर ने कहा (नवंबर 2013) कि एक ही कार्य विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित किये गये और निधि की प्राप्ति में विलम्ब की वजह से कुछ कार्य अन्य योजनाओं के तहत् स्वीकृत किये गये। इसलिए प्रेसीडेन्ट इन कॉंसिल में अनुमोदन उपरांत अन्य कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजे गये। जवाब मान्य नहीं है क्योकि सीएमओ, नगर पंचायत, नरहरपुर द्वारा कार्यों की स्वीकृति हेतु आगे कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया।

- रायगढ़ जिले में जनपद पंचायत, खरसिया की 14 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किये जाने हेतु 36 कार्यों का प्रस्ताव फरवरी 2012 मे जिला पंचायत को प्रस्तुत किया गया। यह देखा गया कि इन 14 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृत किया गया। छः ग्राम पंचायतों में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। शेष छः ग्राम पंचायतों में जो कार्य प्रस्तावित नहीं थे, स्वीकृत किये गये ***(परिशिष्ट 4.2)***।

जवाब मे सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि एजेंसी द्वारा प्रस्तावित कार्यों को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया। कुछ प्रकरणों में एजेंसियों से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई। जवाब मान्य नहीं है। छः ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव के समर्थन मे दस्तावेज अभिलेखों मे नही पाये गये।

4.1.6.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उप कार्ययोजना तैयार न किया जाना

बी आर जी एफ के तहत् वर्ष 2007-12 के दौरान किसी भी नमूना जाँच किये गये जिले मे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक उप कार्ययोजना तैयार नही की गई।

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 2.2 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनावार आबंटन को दर्शाते हुए प्रत्येक पंचायत/नगरीय निकाय के वार्षिक कार्ययोजना के अंदर एक पृथक उप कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। इस उप कार्ययोजना के अंतर्गत पंचायतों/नगरीय निकायों मे कम से कम इन सुमदायो की जनसंख्या के अनुपात में निधि उपलब्ध करायी जानी थी। पर्याप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों मे विद्यालय, आंगनबाड़ी/स्वास्थ्य केन्द्र आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जानी थी। वर्ष 2007-12 के दौरान किसी भी नमूना जाँच किये गये जिलो की वार्षिक कार्ययोजना में इस प्रकार की उप कार्ययोजना तैयार नही की गई जबकि इन जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना की कुल जनसंख्या का 29 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक थी। इन जिलों मे वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए वार्षिक कार्ययोजना के कुल प्रावधान ₹ 682.15 करोड़ में से ₹ 378.59 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक था। इसके विपरीत अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। केवल वर्ष 2012-13 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजनावार आबंटन उपलब्ध कराया गया।

4.1.6.4 पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार न किया जाना

भारत शासन द्वारा अक्टूबर 2007 में ₹ 30 करोड़ जारी किये जाने के बावजूद पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार नही की गई।

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 1.3 मे पिछड़ेपन मुद्दे के समाधान के लिए वर्ष 2006-12 हेतु एक अच्छी तरह से भागीदारी जिला विकास पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए भारत शासन द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान 13 पिछड़े जिलों के लिए प्रति जिला ₹ 10 लाख की दर से ₹ 1.30 करोड़ जारी किया गया। बस्तर जिले को छोड़कर बी आर जी एफ के तहत् वर्ष 2007-12 के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार नहीं की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार न किये जाने से वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने में विलम्ब हुआ जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

4.1.6.5 वार्षिक कार्ययोजनाओं की तैयारी में विलम्ब

बी आर जी एफ के तहत् वार्षिक कार्य योजनायें 64 से 233 दिनों के विलम्ब से तैयार की गई।

भारत शासन से निधि का समय पर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष प्रांरभ होने के पूर्व बी आर जी एफ के तहत् वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी, संबंधित जिला योजना समिति (डी पी सी) द्वारा स्वीकृति तथा राज्य शासन/भारत शासन को प्रस्तुतीकरण आवश्यक था। नमूना जाँच किये गये जिलों में वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए वार्षिक कार्ययोजनाओं की तैयारी तथा जिला कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण में 64 से 233 दिनों तक का विलम्ब हुआ। वार्षिक कार्ययोजनाओं की स्वीकृति एवं अनुमोदन में विलम्ब की वजह से भारत शासन से निधि को जारी करने में विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप प्रशासकीय स्वीकृतियाँ या तो वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई।

4.1.7 नीतिगत ढाँचा एवं संस्थागत व्यवस्थायें

4.1.7.1 नीतिगत ढाँचा का अभाव एवं दिशानिर्देश जारी न किया जाना

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 1.8 और 1.9 के अनुसार प्रत्येक राज्य मानक सूत्र दर्शायेगा जोकि प्रत्येक पंचायतों और नगरीय निकायों को बी आर जी एफ निधि के आबंटन के लिये उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा कंडिका 4.13, 4.14 एवं 4.15 के अनुसार एक गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, समीक्षा समिति और सामाजिक अंकेक्षण की प्रणाली संस्थापित की जानी थी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध मे कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित हैः

- दिशानिर्देश की कंडिका 1.9 के अनुसार आवश्यक पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के मध्य बी आर जी एफ निधि का आबंटन पिछड़ेपन सूचकांक अथवा विकास के स्तर तथा जिलेवार विशिष्ट प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए नहीं किया गया। इसके अभाव में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निधि आबंटित की गई। इसके अलावा नमूना जाँच किये गये जिलों में विकास कार्ययोजना जिले के पिछड़ेपन सूचकांक के अनुसार तैयार न करते हुए क्षेत्रवार और जनसंख्यावार तैयार किये गये।

- दिशानिर्देश की कंडिका 1.9 के अनुसार जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए निधि का एक उचित प्रतिशत निर्धारित किया जाना आवश्यक है। किसी भी नमूना जाँच किये गये जिले में इसके लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई।

- एक गुणवत्ता निगरानी प्रणाली जिसकी नियमित समीक्षा एचपीसी द्वारा की जानी थी, निर्धारित नहीं की गई। यद्यपि जिले स्तर पर गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाना प्रतिवेदित किया गया किन्तु इसके समर्थन में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये जैसा कि **कंडिका 4.1.13.1** मे चर्चा की गयी है। इसके अलावा एचपीसी की भूमिका केवल वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति तक सीमित थी।

- दिशानिर्देश में बी आर जी एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम अथवा वार्ड सभा द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों मे क्षेत्रसभा और वार्ड समिति द्वारा किया जाना प्रावधानित है।अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 140 चयनित ग्राम पंचायतों में से योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण मात्र 10 ग्राम पंचायतों में कराया गया। 86 ग्राम पंचायतों में यह कहा गया कि मनरेगा के साथ सामाजिक अंकेक्षण किया गया किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। शेष 44 ग्राम पंचायतों में कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया जैसा कि **कंडिका 4.1.13.2** मे चर्चा की गई है।

- दिशानिर्देश में पंचायतों द्वारा कार्य की प्रगति का पीयर रिव्यू करने तथा डीपीसी द्वारा जिले स्तर पर पंचायतों द्वारा तैयार की गई पीयर रिव्यू प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु एक समीक्षा समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। वहाँ कोई समीक्षा समिति और पीयर रिव्यू नहीं किया गया। राजनांदगाँव एवं सरगुजा जिले में यह कहा गया कि पृथक समीक्षा समिति गाठित की गई किन्तु बैठक का कार्यवाही विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अन्य जिला पंचायतों द्वारा यह कहा गया कि योजना की समीक्षा की निगरानी नियमित रूप से समयसीमा बैठक, मासिक बैठक और जिला स्तर सतर्कता और निगरानी समिति के माध्यम से की गई किन्तु समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

लेखापरीक्षा मे इंगित (नवंबर 2013) किये जाने पर संचालक, पी आर डी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया (जनवरी 2014)।

4.1.8 कमजोर संस्थागत व्यवस्थायें

4.1.8.1 विकासखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन अमलों की पदस्थापना न किया जाना

बी आर जी एफ के दिशानिर्देश में ग्राम पंचायतों को विशिष्ट अमले जैसे एक समुदायिक स्तर का प्रशिक्षित व्यक्ति जो समुदाय को कृषि, जल प्रबंधन, पशुप्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और कृषि व्यवसाय के विषय में जानकारी उपलब्ध करा सके, महिला साक्षरता

और सूक्ष्म वित्त के लिए गतिविधि प्रारंभ करने के लिए एक जेण्डर सशक्तिकरण समुदाय नेता और स्थानीय इंजीनियरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए बेयर फुट इंजीनियर आवश्यक है। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर एक इंजीनियर (प्राक्कलन तैयार करने और क्रियान्यवन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए), एक लेखापाल (विकासखण्ड और ग्राम पंचायत में वित्तीय अनुशासन को लागू करने के लिए) और एक सामाजिक विशेषज्ञ (ग्रामसभा/वार्ड सभा आदि में शामिल होने के लिए ग्रामीणों मे रूझान के माध्यम से भागीदारी कार्ययोजना आयोजित करने के लिए) के साथ एक पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। दिशानिर्देश भी योजना और क्रियान्वयन के लिए पंचायतों में पर्याप्त पदाधिकारियों के प्रावधान के लिए विकास अनुदान का पाँच प्रतिशत (प्रति जिला) उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर स्त्रोत समर्थन उपलब्ध नही था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि रायगढ़, जहाँ बी आर जी एफ के लिए चार जनपद पंचायतों में डाटा एन्ट्री आपरेटर नियुक्त थे को छोड़कर किसी भी नमूना जाँच किये गये विकासखण्डों और ग्राम पंचायतों में दिसम्बर 2013 तक कोई ऐसी जनशक्ति उपलब्ध नहीं कराई गई।

4.1.8.2 नगरीय निकायों के लिए तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन

बी आर जी एफ योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 1.6 (अ) एवं 3.22 अन्य बातों के साथ अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगरीय निकाय स्तर पर सहयोगी अमलों का प्रावधान आवश्यक है। नमूना जाँच किये गये जिलों में नगरीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि बी आर जी एफ के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक समर्थन अमले नियुक्त नहीं किये गये तथा यह कार्य नियमित अमलों के माध्यम से किया गया। तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन अमलो के अभाव में स्वीकृत कार्यों को निश्चित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा और रायगढ़ ने कहा (नवंबर और दिसम्बर 2013) कि निर्देश प्राप्त न होने की वजह से पृथक से तकनीकी अमले पदस्थ नहीं किये गये और योजना के कार्य नियमित तकनीकी अमलों के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे थे। सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा ने कहा (जनवरी 2014) कि पृथक से तकनीकी अमले पदस्थ नहीं थे।

4.1.9 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार द्वारा बी आर जी एफ के अंतर्गत वर्ष 2007-13 के दौरान 15 बी आर जी एफ जिलों के लिए कुल मिलाकर ₹ 1401.07 करोड़ की राशि जारी किया गया जिसके विरूद्ध मार्च 2013 तक ₹ 1285.97 करोड़ का उपयोग किया गया जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: बी आर जी एफ के अंतर्गत वर्ष 2007-13 के दौरान निधियों की प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतिम शेष
2007-08	0.00	224.92	0.56	225.48	129.59	95.89
2008-09	95.89	192.45	3.53	291.87	102.46	189.41
2009-10	189.41	207.60	4.42	401.43	307.36	94.07
2010-11	94.07	263.36	9.13	366.56	211.01	155.55
2011-12	155.55	246.94	9.09	411.58	250.16	161.42
2012-13	161.42	231.66	7.41	400.49	285.39	115.10
योग		**1366.93**	**34.14**		**1285.97**	

स्रोतः- पी आर डी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

यह अवलोकन किया जा सकता है कि कुल उपलब्ध निधियों ₹ 1401.07 करोड़ मे से 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹ 1285.97 करोड़ का व्यय किया गया।

बी आर जी एफ के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा में निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हुई।

4.1.9.1 प्रांरभिक शेष एवं अंतिम शेष में अतंर होना

संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बी आर जी एफ योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान जिलेवार आवंटन एवं व्यय के संबंध में उपलब्ध करायी गयी जानकारी की संवीक्षा में पाया गया कि संबंधित वर्षों के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में अंतर थे जैसा कि नीचे विवरण मे दिया गया है:-

तालिका 4.2: प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों मे अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वास्तविक प्रारंभिक शेष	प्रारंभिक शेष में अंतर	अनुदान प्राप्ति	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्धता	वास्तविक उपलब्धता	व्यय	अंतिम शेष	वास्तविक अंतिम शेष	अंतिम शेष का अंतर
2007-08	0.00	0.00	0.00	224.92	0.56	225.48	225.48	129.59	95.89	95.89	0.00
2008-09	105.71	95.89	9.82	192.45	3.53	301.69	291.87	102.46	199.23	189.41	9.82
2009-10	199.83	189.41	10.42	207.60	4.42	411.85	401.43	307.36	104.49	94.07	10.42
2010-11	98.26	94.07	4.19	263.36	9.13	370.75	366.56	211.01	159.74	155.55	4.19
2011-12	166.93	155.55	11.38	246.94	9.09	422.96	411.58	250.16	172.80	161.42	11.38
2012-13	171.30	161.42	9.88	231.66	7.41	410.37	400.49	285.39	124.98	115.10	9.88
2013-14	96.41	115.10	-18.69	56.89	1.07	154.37	173.06	58.22	96.15	114.84	-18.69
योग				**1423.81**	**35.22**			**1344.18**			

स्रोतः- संचालक, पी आर डी द्वारा दी गयी जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एक वर्ष के अंतिम शेष एवं उत्तरोत्तर वर्ष के प्रारंभिक शेष में लगातार अंतर था। यह आंकडों के आवधिक पुनर्मिलान प्रक्रिया के अभाव का सूचक है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (नवम्बर 2013) पर संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014) ।

4.1.9.2 राज्य शासन द्वारा निधियों को जारी किए जाने मे विलंब

₹ 686.62 करोड़ के बी आर जी एफ निधि को 15 जिलों को 14 से 77 दिवस के विलंब से स्थानांतरित किया गया एवं निधियों को जिला पंचायतों को विलंब से स्थानांतरण के कारण ₹ 1.34 करोड़ दण्डात्मक ब्याज के रूप में भुगतान किया गया।

बी आर जी एफ दिशानिर्देशों की कंडिका 4.6 के अनुसार पंचायतों, नगरीय निकायों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का स्थानांतरण भारत शासन द्वारा निधियों को जारी किए जाने के 15 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए, असफल रहने पर राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों को विलम्ब से स्थानांतरित निधि के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की दर के समान दण्ड ब्याज स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। यह देखा गया कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007-12 के दौरान ₹ 686.62 करोड़ की राशि को समस्त बी आर जी एफ जिलों को स्थांनातरित करने मे 14 से 77 दिवस तक का विलंब हुआ था। राज्य शासन द्वारा दण्ड ब्याज की राशि ₹ 1.34 करोड़[14] का भुगतान पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों को किया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल जिला पंचायतों को निधि विलंब से जारी हुआ किंतु जिला पंचायत से जनपद पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेसिंयों को भी निधि जारी करने में विलंब हुआ जैसा कि आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (नवम्बर 2013) पर संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.9.3 जिला पंचायत से निधियों का पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों को विलंबित स्थानांतरण

बी आर जी एफ दिशानिर्देशों के कंडिका 4.7 के अनुसार राज्य शासन से प्राप्त निधियों को पंचायतों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को कार्य स्वीकृत होने के बाद पूर्ण या किश्तों में तुरंत जारी किया जाना चाहिए।

बी आर जी एफ निधि ₹ 30.17 करोड़ संबंधित पंचायती राज संस्थाओं/ नगरीय निकायों को एक से 32 माह के विलम्ब से स्थानांतरित की गई।

चयनित जिला पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह देखा गया कि जनपद पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेसियों को ₹ 30.17 करोड़ की निधियाँ एक से 32 माह के विलंब से उपलब्ध करायी गयी। इसके कारण वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित कार्यो की स्वीकृति भी विलंब से जारी की गयी।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर एवं बिलासपुर ने बताया (नवम्बर 2013) कि सभी जिलों की कार्ययोजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तर पर सम्पूर्ण राज्य की कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु नियत तिथि पर एच पी सी बैठक मे किया जाता है। कार्ययोजना अनुमोदन के पश्चात् इसे भारत सरकार को प्रेषित किया जाता था और राज्य शासन से निधियाँ प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही प्रांरभ की गई। सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा एवं रायगढ़ ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भारत शासन/राज्य शासन

[14] बस्तर ₹ 2 लाख, बिलासपुर ₹ 20.70 लाख, दन्तेवाड़ा ₹ 10.45 लाख, धमतरी ₹ 13.67 लाख, जशपुर ₹ 6.28 लाख, कबीरधाम ₹ 10.20 लाख, कांकेर ₹ 5.03 लाख, कोरबा ₹ 13.38 लाख, कोरिया ₹ 4.52 लाख, महासमुन्द ₹ 5.11 लाख, रायगढ़ ₹ 6.43 लाख, राजनांदगांव ₹ 12.32 लाख एवं सरगुजा ₹ 14.33 लाख

से निधियाँ प्राप्त होने में विलंब के कारण स्वीकृति विलंब से जारी की गई। सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगांव ने बताया (अक्टूबर 2013) कि आबंटन प्राप्त होने के बाद तुरंत निधियों को पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों को विमुक्त किया गया।

सी ई ओ के जवाब मान्य नहीं है। भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी करने में विलंब मुख्यतः वार्षिक कार्ययोजनाओं को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारण था। सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर एवं सरगुजा द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

4.1.9.4. अर्जित ब्याज को लौटाया न जाना

नमूना जाँच किये गये इकाईयों द्वारा बी आर जी एफ के अंतर्गत अर्जित ब्याज ₹ 64.11 लाख जिला पंचायत को नहीं लौटाया गया।

बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.9 के अनुसार निधियों पर प्राप्त ब्याज को अतिरिक्त संसाधन के रूप में मान्य किया जाना चाहिए तथा बी आर जी एफ दिशानिर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।

51 क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि बैंक द्वारा 17 इकाईयों[15] को ब्याज राशि ₹ 64.41 लाख दिया गया एवं रोकड़ बही में लेखा प्रविष्टि किया गया फिर भी उसे जिला पंचायतों को लौटाया नहीं गया।

सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़ एवं राजनांदगांव ने जवाब में बताया (नवम्बर एवं दिसम्बर 2013) कि बचत खातों पर अर्जित ब्याज एजेंसियों से वापस प्राप्त किए जाएंगे। सी एम ओ, नगर पंचायत, नरहरपुर ने कहा (नवम्बर 2013) कि जिला पंचायत कांकेर से जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा। सी एम ओ, नगर पंचायत, गीदम ने कहा (दिसम्बर 2013) कि ब्याज राशि का उपयोग कम्प्यूटर एवं फोटोकापी में किए जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा को प्रेषित किया गया था।

जवाब मान्य नहीं है। यदि क्रियान्वयन एजेसियों द्वारा अर्जित ब्याज के लौटाया गया होता तो इसका उपयोग संबंधित वर्षों की कार्ययोजना में स्वीकृत अन्य कार्यों हेतु किया जा सकता था।

4.1.9.5 योजना की निधियों को ब्याज रहित खातों एवं संयुक्त खातों में जमा किए जाने के कारण ब्याज की हानि

बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.8 के अनुसार बी आर जी एफ निधि को राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में एक अलग बैंक खाते में रखा जाना चाहिए।

---

[15] सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़- ₹ 8.16 लाख, एवं कांकेर- ₹ 13.48 लाख, सी एम ओ नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी- ₹ 3.79 लाख, बस्तर- ₹ 1.27 लाख, भानुप्रतापपुर- ₹ 2.45 लाख, चारामा- ₹ 4.20 लाख, डोंगरगांव- ₹ 4.50 लाख, गीदम- ₹ 3.42 लाख, पुसौर- ₹ 1.44 लाख, पखांजूर- ₹ 1.87 लाख, नरहरपुर- ₹ 2.09 लाख, एवं सुकमा- ₹ 1.48 लाख, जनपद पंचायत, छिंदगढ़- ₹ 3.40 लाख, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दन्तेवाड़ा- ₹ 1.51 लाख एवं कांकेर- ₹ 3.68 लाख, उपसंचालक उद्यान कांकेर- ₹ 1.39 लाख एवं वनमण्डलाधिकारी,जगदलपुर- ₹ 6.27 लाख

क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की समीक्षा मे निम्नलिखित पता चलाः

बी आर जी एफ निर्देशों के विपरीत निधि ₹ 1.34 करोड़ ब्याज रहित खातों में जमा किया गया तथा ₹ 7.63 करोड़ संयुक्त खाते में रखा गया।

- उपरोक्त दिशानिर्देशों के विपरीत मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, रायपुर द्वारा निर्देश जारी किया गया (अगस्त 2010) कि विभाग द्वारा सभी निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों को 8443 एवं 8782 में सिविल डिपोजिट में चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जायेगा। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग में भी यही प्रकिया कार्यप्रणाली में पायी गयी।

- यह देखा गया कि कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगाँव द्वारा वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान ₹ 2.88 करोड़ मूल्य के 22 स्वीकृत कार्य ₹ 2.59 करोड़ का व्यय करते हुए पूर्ण किया गया। शेष राशि ₹ 29 लाख को चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी जिला पंचायत, राजनांदगांव को नहीं लौटाये जाने के परिणाम स्वरूप ब्याज राशि ₹ 4.42 लाख की हानि हुई (4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण बैंक ब्याज)।

- रायगढ़ जिले में यह देखा गया कि कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण/विकास भवन के निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ को प्रदत्त स्वीकृत राशि ₹ 145.40 लाख (अक्टूबर 2010) के विरूद्ध दिसम्बर 2013 की स्थिति में मात्र ₹ 40.73 लाख का उपयोग किया गया। चूंकि राशि को बैंक खाते में जमा नहीं करायी गई अतः ब्याज ₹ 3.84 लाख की हानि हुई (4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना किया गया)।

- आयुक्त, नगर निगम, रायगढ़ में यह देखा गया कि जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा 21 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹ 19.13 लाख प्रदान किया गया (फरवरी 2008)। कार्य अप्रारंभ होने के कारण राशि पांच वर्ष से अधिक विलंब के बाद लौटायी गयी (मई 2013)। चूंकि बी आर जी एफ निधियों को ऐसे खाते में जमा रखा गया जहाँ अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियों को रखा गया था। अतः बी आर जी एफ निधियों पर ब्याज राशि ₹ 3.83 लाख को बी आर जी एफ निधि में जमा नही किया गया।

- सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर में 175 नलकूप खनन के लिए कुल मिलाकर ₹ 1.40 करोड़ की निधि जुलाई 2012 में उपसंचालक कृषि, कांकेर को जारी किया। विभाग द्वारा इसमें से लेखापरीक्षा दिनांक (नवम्बर 2013) तक ₹ 13.19 लाख (नौ प्रतिशत) का उपयोग किया गया। चूंकि शेष राशि ₹ 1.27 करोड़ की बी आर जी एफ निधियों को ऐसे खाते मे रखा गया जहाँ अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियों को जमा किया गया था। बी आर जी एफ निधियों पर ब्याज राशि ₹ 6.77 लाख को बी आर जी एफ निधि में जमा नहीं कराया गया।

- सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 88.77 लाख, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दन्तेवाड़ा को जारी किया गया। इन निधियों का उपयोग एक से 20 माह तक नहीं किया गया। चूंकि बी आर जी एफ निधियों को ऐसे खाते में जमा करके रखा गया जहां अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि को जमा करके रखा

गया था। अतः बी आर जी एफ निधियों पर ब्याज राशि ₹ 0.83 लाख को बी आर जी एफ खाते मे जमा नहीं कराया गया।

- सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा कुल मिलाकर ₹ 5.28 करोड़ की निधि 2007-08 से 2012-13 के दौरान आयुक्त, नगर निगम, जगदलपुर को जारी किया। इन निधियों को एक से 12 माह तक उपयोग नहीं किया गया। चूंकि बी आर जी एफ निधियों को ऐसे खाते मे जमा करके रखा गया जहाँ अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि को जमा करके रखा गया था। अतः बी आर जी एफ निधियों पर ब्याज राशि ₹ 3.07 लाख को बी आर जी एफ खाते मे जमा नहीं कराया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने बताया (अक्टूबर 2013) कि क्रियान्वयन एजेंसियों को पृथक बैंक खाता खोलने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। सी ई ओ, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा ने बताया (दिसम्बर 2013) कि पृथक बैंक खाता खोलने के लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है, इसलिए निधि को जमा शीर्ष में रखा गया। सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि ब्याज राशि को लौटाने हेतु पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त जवाबों से बी आर जी एफ दिशानिर्देशों के पालन न किए जाने की पुष्टि होती है। सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर एवं कांकेर द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए (जनवरी 2014)।

4.1.9.6 योजना की निधियों को सावधि जमा खातों में रखा जाना

बी आर जी एफ योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के पश्चात् जिला पंचायतों द्वारा निधियों को क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाना चाहिए। जिला पंचायत द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों की शर्तो के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वीकृति प्राप्त थी।

बी आर जी एफ के अंतर्गत ₹ 1.50 करोड़ को सावधि जमा में रखा गया।

सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव द्वारा बी आर जी एफ के अंतर्गत 82 कार्यों के लिए आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव को वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 4.54 करोड़ की राशि जारी की गई इसमें से ₹ 1.50 करोड़ को लेखापरीक्षा दिनांक तक बैंक आफ बड़ौदा में सावधि जमा में रखा गया।

सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने जवाब में बताया (नवम्बर 2013) कि आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव से जानकारी प्राप्त करके जवाब प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त जवाब सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगांव के द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के अभाव की पुष्टि करता है।

4.1.9.7 गलत/अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं बी आर जी एफ के अंतर्गत अग्रिम को अनियमित रूप से अंतिम व्यय मानना

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 4.5 एवं भारत शासन के निर्देश (अक्टूबर 2008) के अनुसार व्यपवर्तन न होने, गबन न होने एवं अग्रिम को अंतिम व्यय न मानने के समर्थन में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

12 जनपद पंचायतों के बैंक खाते में रखी राशि ₹ 31.47 करोड़ को पूर्ण व्यय माना गया तथा अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये।

सभी चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि भारत शासन को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में बस्तर को छोड़कर क्रियान्वयन एजेंसी को निधि जारी करने के बाद जिला पंचायत के पास शेष बचे राशि को दर्शाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में क्रियान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि को लेखे में शामिल नहीं किया गया। चयनित 12 जनपद पंचायतों[16] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद पंचायतों के पास ₹ 3.84 करोड़ से ₹ 7.36 करोड़[17] की अव्ययित राशि संबंधित वर्षों के अंत में उपलब्ध थी जिसे उपयोगिता प्रमाण पत्रों में अंतिम व्यय के रूप मे दर्शाया गया। इसी प्रकार क्रियान्वयन एजेंसियों/नगरीय निकायों के बैक खातों में जमा अव्ययित राशि को भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों मे व्यय दर्शाया गया।

जिला पंचायत, राजनांदगांव में यह देखा गया कि भारत शासन को वर्ष 2010-11 से 2012-13 में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाया गया अव्ययित शेष रोकड़ बही में उपलब्ध वास्तविक शेष से मेल नहीं खाता था जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण पत्र, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं रोकड़ बही में दर्शाये शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार शेष	मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार शेष	रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
2010-11	9.75	9.75	10.33	0.58
2011-12	17.11	17.11	17.70	0.59
2012-13	2.07	2.07	2.73	0.67
योग				**1.83**

स्रोतः- जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि निधियों की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु ₹ 1.83 करोड़ के अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को प्रेषित किये गए।

सी ई ओ, राजनांदगाँव, रायगढ़ एवं दन्तेवाड़ा ने जवाब में कहा (अक्टूबर एवं नवम्बर 2013) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में तथा समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों के सी ए आडिट के संबंध मे स्पष्ट निर्देश के अभाव में उपयोगिता प्रमाण पत्रों में केवल जिला पंचायत के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को दर्शाया गया है। जवाब मान्य नहीं है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ₹ 31.47 करोड़ के अव्ययित शेष को अंतिम व्यय के रूप में नहीं माना जाना था। इस प्रकार भारत शासन से आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

4.1.9.8 आर एस व्ही वाई के अंतर्गत गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

राष्ट्रीय सम विकास योजना का क्रियान्वयन 8 जिलों[18] में किया गया एवं भारत शासन

[16] बतौली, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, डोंगरगांव, गीदम, खैरागढ़, खरसिया, मरवाही, नरहरपुर, पुसौर, राजपुर, सुकमा।

[17] 2008-09 में ₹ 3.84 करोड़, 2009-10 में ₹ 6.64 करोड़, 2010-11 में ₹ 7.36 करोड़, 2010-11 में ₹ 5.88 करोड़ एवं 2012-13 में ₹ 6.32 करोड़

[18] बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, राजनांदगाँव एवं सरगुजा

द्वारा वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान ₹ 360 करोड़ जारी किया गया। योजना का क्रियान्वयन चयनित 7 जिलों में से छः जिलों[19] में किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नानुसार पता चलाः

- राजनांदगाँव जिले में यह देखा गया कि आर एस व्ही वाई की शेष निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश के अनुपालन में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव द्वारा निरंक शेष के साथ अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया (मई 2012)। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी लिमिटेड, राजनांदगाँव को 430 विद्युतीकरण कार्यों के लिए मार्च 2012 में ₹ 1.11 करोड़ प्रदाय किया गया। अक्टूबर 2013 की स्थिति में ₹ 31.88 लाख का उपयोग नहीं किया गया एवं 215 कार्य प्रगति पर थे। कार्यों पर निधियों के उपयोग न किए जाने के बावजूद भारत शासन को निरंक शेष के साथ अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

- कांकेर जिले में यह देखा गया कि सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर द्वारा निरंक शेष के साथ अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया (मई 2012)। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 77 मकानों के लिए छः जनपद पंचायतों[20] को ₹ 36.83 लाख जारी किया गया। जिसमें से 11 माह व्यतीत होने के बाद भी सी ई ओ, जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। 14 मकानों के लिए स्वीकृत ₹ 6.79 लाख जिला पंचायत, कांकेर को लौटाया भी गया एवं दो मकानों के लिए स्वीकृत राशि ₹ 97,000 नवम्बर 2013 की स्थिति में जनपद पंचायत के पास थी। बावजूद इसके शत प्रतिशत व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को भेजा गया, जो अनियमित था।

इसको छोड़कर बस्तर जिले में यह पाया गया कि जिला पंचायत, बस्तर द्वारा भारत शासन से प्राप्त निधि ₹ 45.91 करोड़ (₹ 90.58 लाख की अन्य प्राप्तियों सहित) के विरूद्ध जिला पंचायत, बस्तर द्वारा ₹ 45.68 करोड़ तक के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2011)। तथापि ₹ 23 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा दिनांक (नवम्बर 2013) तक भारत शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया था। योजना के अंतर्गत बिलासपुर, दन्तेवाड़ा एवं सरगुजा जिले में निधियों की प्राप्ति एवं व्यय को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। क्योंकि लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि एजेंसियों को निधियाँ जारी किए जाने के बाद जिला पंचायत स्तर पर कोई शेष नहीं था। इसलिए

---

[19] बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगाँव एवं सरगुजा

[20] अन्तागढ़- ₹ 19.40 लाख (40 मकानों के लिए), भानुप्रतापपुर- ₹ 7.76 लाख (16 मकानों के लिए), चरामा- ₹ 4.96 लाख (10 मकानों के लिए), कांकेर- ₹ 1.46 लाख (4 मकानों के लिए), कोयलीबेड़ा- ₹ 1.45 लाख (3 मकानों के लिए) एवं नरहरपुर- ₹ 1.80 लाख (16 मकानों के लिए)

सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को प्रेषित किया गया एवं अधीक्षण अभियंता, सी एस पी डी सी एल, राजनांदगाँव को शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया गया। जबकि सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर एवं कांकेर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया (जनवरी 2014)।

4.1.9.9 निधियों का व्यपवर्तन

भारत शासन के निर्देश (अक्टूबर 2008) के अनुसार योजना के अंतर्गत निधियाँ वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर जारी किया जाता है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ व्यपवर्तन न होने एवं गबन न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जिला पंचायत द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार जारी राशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर किया जाना है। क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित पता चलाः

वर्ष 2007 से 2013 के दौरान अन्य उद्देश्यों के लिए ₹ 117.51 लाख का व्यपवर्तन किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति अक्टूबर 2013 तक नही की गयी।

- नगर पंचायत, लोरमी में यह देखा गया कि नौ स्वीकृत कार्यों के लिए जारी राशि ₹ 32.50 लाख में से ₹ 14.32 लाख की राशि का उपयोग जून 2009 एवं जनवरी 2010 के बीच 8 प्रमाणकों के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर भारत शासन के उपरोक्त दिशानिर्देश के विपरीत किया गया।

सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर ने जवाब में आक्षेप को स्वीकार किया एवं कहा (नवम्बर 2013) कि तत्काल आवश्यकता के कारण बी आर जी एफ निधि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर किया गया और निधि आवंटन की मांग शासन को प्रेषित किया गया।

जिला पंचायत, रायगढ़ में वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14 के अनुसार पांच[21] विकासखण्डों (₹ 10 लाख प्रति विकासखण्ड) के चयनित हितग्राहियों को सोलर स्टडी लैम्प एवं टास्क लाईट वितरण हेतु ₹ 50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी एवं ₹ 25 लाख (स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), रायगढ़ को मई 2013 में जारी किया गया। अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि क्रेडा, रायगढ़ द्वारा मेसर्स नैनो ब्राईट सोलर टेक्नोंलाजी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद को ₹ 750 की दर से 4700 टास्क लाइट हेतु कार्यादेश 28 मई 2013 को जारी किया। फर्म द्वारा टास्क लाईट का प्रदाय जून 2013 मे किया गया । आगे की संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि क्रेडा द्वारा ₹ 23.58 लाख मूल्य के 3144 टास्क लाइटों[22] का वितरण बी आर जी एफ के अंतर्गत न करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री मोबाईल सोलर लैम्प योजना के अंतर्गत चयनित पांच विकासखण्डों को किया गया जो जून एवं सितम्बर 2013 के दौरान वितरित किए गए । इस प्रकार बी आर जी एफ निधियों को अन्य राज्य योजना में व्यपवर्तित किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

---

[21] धरमजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, लैलूंगा एवं तमनार

[22] धरमजयगढ़-635, घरघोड़ा-509, खरसिया-657, लैलूंगा-558 एवं तमनार-825

- जिला पंचायत, बिलासपुर में यह पाया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ₹ 1.26 लाख मूल्य के 16 बिलों का भुगतान 29 मार्च 2012 को बी आर जी एफ निधि से किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति अक्टूबर 2013 तक नहीं किया गया था।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर ने कहा (नवम्बर 2013) कि व्यय मीटिंग के खर्चे एवं बी आर जी एफ अंतर्गत दौरा हेतु वाहन किराये पर किया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये प्रमाणक यह दर्शाते थे कि व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबधित मदों जैसे लोकपाल के लिए नेमप्लेट, टेण्डर नोटिस इत्यादि पर किए गए थे एवं बी आर जी एफ के क्रियान्वयन से संबंधित नहीं थे।

- जिला पंचायत, रायगढ़ में यह पाया गया कि 10 प्रकरणों में ₹ 12.63 लाख की राशि का भुगतान विद्युत, पेयजल व्यवस्था, वाहन किराया, ए सी क्रय, मरम्मत एवं बी एस एन एल लीज लाईन हेतु वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान किया गया जो योजना के अतंर्गत मान्य नहीं थे।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के प्रशासनिक मद में निधियां उपलब्ध न होने के कारण बी एस एन एल लीज लाईन का भुगतान बी आर जी एफ से किया गया तथा अन्य व्यय आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र दौरा के लिए वाहन किराए पर किया गया। आगे यह कहा गया कि बीएसएनएल लीज लाईन के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति किया जायेगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वाहन किराए के समर्थन में निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा क्षेत्र दौरा के लिए दौरा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए गए।

सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, मुंगेली में यह देखा गया कि जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान योजना के अंतर्गत स्वीकृत 26 कार्यो के लिए ₹ 130.67 लाख प्रदाय किया गया। सी एम ओ, मुंगेली द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 26 स्वीकृत कार्यों में से 12 कार्य किए गए एवं अक्टूबर 2013 तक ₹ 78.37 लाख का व्यय किया गया। अव्ययित राशि ₹ 52.30 लाख एजेंसी के पास होना चाहिए था। तथापि बैंक स्टेटमेन्ट में (08 अक्टूबर 2013) के अनुसार केवल ₹ 22.31 लाख (₹ 52,824 बैंक ब्याज सहित) उपलब्ध था। इस प्रकार ₹ 30.52 लाख की राशि लेखे से बाहर थी।

लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर एवं सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, मुंगेली द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया (जनवरी 2014)।

- राजनांदगाँव जिले के जनपद पंचायत, डोंगरगांव में यह पाया गया कि स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रदाय की गई बी आर जी एफ निधियों की राशि

₹ 35 लाख[23] को मनरेगा हेतु व्यपवर्तित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति चार से पांच माह बाद की गई।

जवाब में सी ई ओ, जनपद पंचायत, डोंगरगांव ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2013) कि मजदूरी भुगतान एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम प्रदान किया गया था।

4.1.9.10 अव्ययित शेष को लौटाया न जाना

नमूना जांच इकाईयों द्वारा बी आर जी एफ अंतर्गत ₹ 9.36 करोड़ के अव्ययित शेष को जिला पंचायत को लौटाया नहीं गया।

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 4.7 के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को वार्षिक कार्य योजना को वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध स्वीकृत राशि उपलब्ध करायी जाती है और कार्य पूर्णता उपरांत अव्ययित राशि जिला पंचायत को लौटाई जानी चाहिए ताकि इसे योजना के अंतर्गत उपयोग किया जा सके।

नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों की संवीक्षा में यह देखा गया कि जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 की अवधि में 47 क्रियान्वयन एजेंसियों[24] को 815 कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रदाय राशि ₹ 53.43 करोड़ में से सभी कार्य ₹ 44.07 करोड़ के व्यय के बाद पूर्ण किये गये। अव्ययित राशि ₹ 9.56 को एक से पांच वर्ष व्यतीत होने पर भी जिला पंचायत को लौटाया नहीं गया ***(परिशिष्ट 4.3)*** ।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव, दन्तेवाड़ा, रायगढ़ एवं सरगुजा ने कहा (नवम्बर एवं दिसम्बर 2013) कि अव्ययित राशि को वापस लौटाने हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्देश जारी किया गया है। सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, बिलासपुर एंव कांकेर के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

4.1.9.11 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 53(4) के अनुसार सभी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम प्रदाय करने की तारीख से तीन महीने के भीतर या वित्तीय वर्ष के अन्त तक जो भी पहले हो समायोजित किया जाना चाहिए।

सी ई ओ, जनपद पंचायत, डोंगरगांव, जिला राजनांदगाँव की रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी की जाँच मे पता चला कि फरवरी 2009 से सितम्बर 2013 के बीच बी आर जी

---

[23] 02 जून 2008 को प्रदाय ₹ 10 लाख का समायोजन 04 नवम्बर 2008 को किया गया एवं 13 मार्च 2010 को प्रदाय ₹ 25 लाख का समायोजन 03 अगस्त 2010 को किया गया।

[24] आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगाँव, सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, कांकेर, सी एम ओ, नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, बारसूर, बोदरी, डोंगरगांव, गण्डई, गीदम, लखनपुर, लोरमी, नरहरपुर, पखांजूर एवं रतनपुर, कार्यपालन अभियंता, आर ई एस क्रं-1 अम्बिकापुर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, राजनांदगाँव एवं सुकमा, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, एवं राजनांदगाँव, उपसंचालक कृषि, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा एवं कांकेर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अम्बिकापुर, दन्तेवाड़ा, एवं कांकेर, जनपद पंचायत, चारामा, दन्तेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकेण्डा, मैनपाट, सुकमा एवं सूरजपुर, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रं-1 अम्बिकापुर एवं दन्तेवाड़ा, कार्यपालन अभियंता, लोनिवि. दन्तेवाड़ा, क्रं-1 जगदलपुर एवं खैरागढ़, उपसंचालक, उद्यान, दन्तेवाड़ा, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ दन्तेवाड़ा, वनमण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा एवं अधीक्षण अभियंता, सी एस पी डी सी एल, राजनांदगाँव ।

एफ निधि से नौ अधिकारियों को अस्थाई अग्रिम ₹ 3.13 लाख का भुगतान किया गया जो नवम्बर 2013 की स्थिति मे समयोजित नही किया गया। आगे यह भी देखा गया कि चार अधिकारियों को कुल ₹ 1.25 लाख[25] का अग्रिम पिछले अग्रिम ₹ 0.66 लाख[26] का समायोजन सुनिश्चित किये बिना प्रदान किया गया।

इसी प्रकार कांकेर जिले में यह देखा गया कि वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार उपसंचालक कृषि, कांकेर को ₹ 6.49 करोड़ की राशि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्रदाय किया गया, जिसमें से नौ अधिकारियों को ₹ 15.79 लाख का अग्रिम मार्च 2010 से सितम्बर 2013 के मध्य बर्मी कम्पोस्ट टैंक एवं फेन्सिंग कार्य के लिए प्रदाय किया गया था। उक्त अग्रिम नौ से 45 महीने व्यतीत होने के बाद भी नवम्बर 2013 की स्थिति मे समयोजित नही किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अक्टबूर एवं नवंबर 2013) सी ई ओ, जनपद पंचायत, डोंगरगांव एवं सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर द्वारा कोई जवाब नही दिया गया (मई 2014)।

4.1.9.12 कपटपूर्ण आहरित की गई राशि की वसूली न किया जाना

वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सी एम ओ, नगर पंचायत, तिफरा को तीन कार्य[27] के लिए ₹ 19.33 लाख की राशि सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा प्रदाय किया गया था। अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि बी आर जी एफ खाते का एक चेक क्रमांक 133271 की चोरी एक व्यक्ति द्वारा किया गया एवं ₹ 9 लाख की राशि कपटपूर्ण तरीके से निकाली गयी (27 अप्रैल 2012)। यह चेक बुक की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सी एम ओ कार्यालय मे आंतरिक नियत्रंक तंत्र के अभाव को दर्शाता है। हालांकि विभाग द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट मई 2012 मे दर्ज किया गया किन्तु सितम्बर 2012 तक ₹ 7.50 लाख की वसूली हो सकी और शेष राशि ₹ 1.50 लाख की वसूली अक्टूबर 2013 की स्थिति मे एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी नही हो सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित करने (अक्टूबर 2013) पर सी एम ओ, नगर पंचायत, तिफरा एवं सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

4.1.9.13 ग्राम पंचायतों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली न किया जाना

विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत लागत का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में ग्राम पंचायत को जारी किया जाता है और जारी की गयी राशि की

---

[25] एच एल नेताम ₹ 40,000, के एल मण्डावी ₹ 40,000, के एल सोनी ₹ 20,000 एवं ओ पी जैन ₹ 25,000

[26] एच एल नेताम ₹ 9,000, के एल मण्डावी ₹ 8,000, के एल सोनी ₹ 9,000 एवं ओ पी जैन ₹ 40,000

[27] विभिन्न वार्ड मे विद्युतीकरण का विस्तार ₹ 9.33 लाख, गोकने नाला पर शुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण ₹ 5 लाख और मनडोल एवं इन्द्रपुरी के मध्य शुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण ₹ 5 लाख

उपयोगिता या कार्य के मूल्यांकन प्राप्त होने पर पुनः 40 प्रतिशत राशि जारी किया जाता है और शेष राशि का भुगतान अंतिम मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

सी ई ओ, जनपद पंचायत, मरवाही (जिला बिलासपुर) के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 के दौरान, चार कार्यों[28] (ग्राम पंचायत लोहारी में तीन एवं ग्राम पंचायत परासी में एक कार्य) के लिए राशि ₹ 14 लाख स्वीकृत किया गया और कार्य के लिए अग्रिम ₹ 6.48 लाख दिया गया। आगे यह देखा गया कि कुल चार कार्यों में से, ग्राम पंचायत परासी का एक कार्य एवं ग्राम पंचायत लोहारी का एक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा क्रियान्वित किये गये शेष दो कार्य का मूल्याकंन ₹ 3.27 लाख था। इस प्रकार अग्रिम राशि ₹ 3.21 लाख (₹ 6.48 लाख - ₹ 3.27 लाख) अक्टूबर 2013 की स्थिति में ग्राम पंचायतों से वसूली योग्य थी।

जवाब मे सी ई ओ, जनपद पंचायत, मरवाही ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ग्राम पंचायत, परासी से अब तक ₹ 0.54 लाख की वसूली की गई और शेष राशि ₹ 2.67 लाख की वसूली के लिए प्रकरण अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पेण्ड्रा को प्रेषित किया गया है।

कार्यक्रम प्रंबधन

बी आर जी एफ योजना के दो घटकों में से एक 'विकास अनुदान' जो कि बुनियादी ढाँचे का विकास और अन्य विकासशील कार्यों के लिए और दूसरा 'क्षमता निर्माण अनुदान' जो कि नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में स्थानीय निकायों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए और साथ में अन्य पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकयों के सदस्यों/कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना है।

4.1.10 विकास अनुदान

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान भारत शासन द्वारा राज्य के 15 जिलों को बी आर जी एफ के तहत् विकास अनुदान घटक के अंतर्गत ₹ 1401.07 करोड़ जारी किया गया। जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 1285.97 करोड़ उपयोग किया गया। यह अनुदान महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण और जिले के अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाना था। बी आर जी एफ विकास अनुदान की उपयोगिता की समीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयीः

4.1.10.1 निर्माण कार्यों का त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन

बी आर जी एफ दिशानिर्देशों के कंडिका 4.16 के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है और भारत शासन द्वारा दो प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिसमें कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह प्रस्तुत किया जाना है।

[28] ग्राम पंचायत लोहारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र ₹ 6 लाख, एस एच सी मार्केट की दुकानें ₹ 1 लाख और एस एच सी मे अतिरिक्त कमरा ₹ 2 लाख एवं ग्राम पचांयत परासी में सी सी रोड ₹ 5 लाख

नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों तथा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जाँच के दौरान यह देखा गया कि तीन जिलों के जिला पंचायतों (बस्तर, दंतेवाड़ा और रायगढ़) द्वारा वर्ष 2007-08 के निम्नलिखित तीन कार्यों को पूर्ण बताया गया यद्यपि ये कार्य अपूर्ण थे जैसा कि **कंडिका 4.1.10.8** (क्रमांक 1 एवं 2) और ***परिशिष्ट 4.9*** (क्रमांक 3) में चर्चा की गई है।

तालिका 4.4: वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत अपूर्ण कार्य जिसे पूर्ण बताया गया

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	एजेन्सी का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय
1	बस्तर	बस्तानार	मूनतपाल	कार्यपालन अभियंता लोनिवि. क्रं.-2 जगदलपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जी एवं एच टाइप स्टाफ क्वार्टर सहित	34.85	16.72
2	रायगढ़	खरसिया	छोटेदेगाँव	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायगढ़	उप स्वास्थ्य केन्द्र	6.10	2.69
3	दन्तेवाड़ा	गीदम	तुमड़ीगुड़ा	ग्राम पंचायत	आंगनबाड़ी भवन	2.25	0.60

स्रोतः- लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

इसी प्रकार की विसंगतियां सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान स्वीकृत 12 कार्यों में भी देखी गई जहाँ मासिक प्रगति प्रतिवेदन में 12 कार्यों को पूर्ण बताया गया परन्तु लेखापरीक्षा दिनांक (दिसम्बर 2013) तक कार्य अपूर्ण पाये गये ।

जिला पंचायत, राजनांदगाँव के वर्ष 2007-08 की वार्षिक कार्ययोजना में बी आर जी एफ के अतंर्गत 516 मकानों हेतु (₹ 1.29 करोड़ ₹ 25,000 प्रति मकान की दर से) स्वीकृत किया गया। भारत शासन को प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इन मकानों को पूर्ण दिखाया गया। जनपद पंचायत, डोंगरगांव तथा जनपद पंचायत, खैरागढ़ की नमूना जांच में हमने निम्नलिखित पायाः

सी ई ओ, जनपद पंचायत, खैरागढ़ के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुल स्वीकृत 67 मकानों में से 33 मकानों को हितग्राहियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया गया और शेष 34 मकानों में केवल 50 प्रतिशत (₹ 4.25 लाख) का व्यय किया गया। ग्राम पंचायत, ढोलियाकन्हार में स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि दीवार स्तर तक कार्य पूर्ण होने के पश्चात् हितग्राही द्वारा ग्राम छोड़ा गया।

जनपद पंचायत, खैरागढ़ के ग्राम पंचायत ढोलियाकन्हार मे बी आर जी एफ के अतंर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत अपूर्ण मकानों का फोटोग्राफ जिसे मासिक प्रगति प्रतिवेदन में पूर्ण बताया गया

जवाब में सी ई ओ, जनपद पंचायत, खैरागढ़ ने बताया (नवम्बर 2013) कि कुल 67 कार्यों में से 33 कार्य को निरस्त कर दिया और ग्राम पंचायत को प्रदान की गयी राशि को वापिस लिया जाएगा तथा शेष 34 कार्यों के बुनियादी ढांचे पूर्ण थे परंतु द्वितीय किशत ₹ 12,500 की दर से जारी नहीं किया गया।

सी ई ओ, जनपद पंचायत द्वारा मकानों के पूर्णता के संबंध में प्रस्तुत जवाब संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये अपूर्ण मकान के संबंध में सत्य नहीं था।

इसी प्रकार सी ई ओ, जनपद पंचायत, डोंगरगांव के ग्राम पंचायत खुर्सीपार के स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन मे यह देखा गया कि कार्य दीवार स्तर तक पूर्ण किया गया यद्यपि मासिक प्रगति प्रतिवेदन मे सम्पूर्ण व्यय दिखाया गया।

जनपद पंचायत, डोंगरगांव के ग्राम पंचायत खुर्सीपार में बी आर जी एफ के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत अपूर्ण मकान का फोटोग्राफ जिसे मासिक प्रगति प्रतिवेदन में पूर्ण बताया गया

पुनः जनपद पंचायत, डोंगरगांव के ग्राम पंचायत रूपाकाठी में एक हितग्राही को स्वीकृत मकान की राशि प्रदाय नहीं किये जाने से निर्माण नहीं किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जिलों द्वारा आगामी आबंटन की प्राप्ति के लिए भौतिक प्रतिवेदन में वृद्धि कर भारत शासन को प्रस्तुत किया गया।

4.1.10.2 अमान्य कार्यों पर व्यय

बी आर जी एफ दिशानिर्देश की कंडिका 4.3.1 के अनुसार विकास निधि का उपयोग अन्य प्रमुख हस्तक्षेप के बावजूद विकास के लिए महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए किया जाना है। पंचायतों एवं नगरीय निकाय द्वारा संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में उन्हें हस्तांतरित किये जाने वाले कार्यों के भीतर आने वाले किसी

भी उद्देश्य के लिए इन निधियों का उपयोग किया जा सकता है। निधि का उपयोग धार्मिक संरचनाओं का निर्माण, धार्मिक संस्थाओं के परिसर मे संरचनाएं, स्वागत द्वार का निर्माण या इस तरह की गतिविधियों के निर्माण के लिए उपयोग नही किया जा सकता।

नमूना जाँच किये जिलों में अमान्य कार्यों पर राशि ₹ 21.69 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि भारत शासन के दिशानिर्देश के विरूद्ध, वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान बी आर जी एफ के अन्तर्गत 442 अमान्य कार्य जैसे सरकारी कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर, मीटिंग हाल, मुक्तिधाम, डायनिंग हॉल, वार्ड-10 में वाहन शेड, हेलीपैड, शासकीय कालोनी मे बाउन्ड्रीवाल, नवरात्रि महोत्सव के लिए जल आपूर्ति व्यवस्था, डोंगरगांव मंदिर में ऊपर एवं नीचे सीढियों में शेड, शासकीय मकानों की मरम्मत एवं रखरखाव, शासकीय कार्यालयों में सोलर पावर प्लांट इत्यादि जिसकी लागत ₹ 21.69 करोड़ थी को लिया गया ***(परिशिष्ट 4.4)***।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये कुछ अन्य प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

- बिलासपुर जिलें में ₹ 49.32 लाख मूल्य के तीन राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य को जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना मे शामिल किया गया जिसे आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर द्वारा क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। नगर निगम, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की जांच में देखा गया कि ₹ 52.27 लाख का व्यय करके कार्य को पूर्ण किया गया, किन्तु इसके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2013) के दौरान यह देखा गया कि राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के स्थान पर कलेक्ट्रेट परिसर में सभा कक्ष 'मंथन' का निर्माण किया गया और कार्य स्थल पर सूचना फलक नहीं पाया गया।

बी आर जी एफ के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र के नाम पर कलेक्टर परिसर में निर्मित सभा कक्ष 'मंथन' का फोटोग्राफ

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अक्टूबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (दिसम्बर 2013)।

- बिलासपुर जिले में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की वार्षिक कार्ययोजना[29] में ₹ 1.40 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से तोरवा में बाल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य को शामिल किया गया और नगर निगम बिलासपुर द्वारा इसके

[29] वर्ष 2007-08 में ₹ 50 लाख, 2008-09 में ₹ 40 लाख, 2010-11 में ₹ 20 लाख एवं 2011-12 में ₹ 30 लाख

क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी गयी। अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कार्य के विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार निम्नलिखित कार्य विभिन्न भागों मे क्रियान्वित किया जाना थाः

1. भाग-1 "60*130 फीट का स्टेज सहित वृहद हाल का निर्माण"
2. भाग-2 "प्लीन्थ लेवल तक तीनों ओर बरान्दा का निर्माण और मौजूदा हॉल की फ्लोरिंग"
3. भाग-3 "तीनों और बरान्दा एवं पोर्च मे स्लेब कार्य"
4. भाग-4 "नाली, दीवार , छह कमरे और शौचालय का निर्माण"

विस्तृत प्राक्कलन, ड्राइंग/डिजाइन और नोट शीट से यह पुष्टि होती है कि बाल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के स्थान पर एक वृहद सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान इसकी पुष्टि भी की गई। कार्य पर अक्टूबर 2013 तक ₹ 1.33 करोड़ का व्यय किया गया। कार्य स्थल पर कोई सूचना फलक भी नहीं पाया गया।

बी आर जी एफ के अंतर्गत तोरवा, बिलासपुर में बाल प्रशिक्षण केन्द्र के नाम पर सामुदायिक भवन निर्माण का फोटोग्राफ

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013), सी ई ओ, जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा कोई विशिष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में कलेक्ट्रेट परिसर मे विकास/प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु ₹ 1.45 करोड़ की स्वीकृति जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा अक्टूबर 2010 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग को जारी की गई। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि ड्राइंग, डिजाइन और कार्य की विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, इस कार्य को निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन के साथ दो मंजिलों में निर्माण किया जाना थाः

  1. भू-तल - सभा कक्ष, दो बरान्दा, कार्यालय कक्ष, स्टोर, रसोई और शौचालय
  2. प्रथम तल - हॉल, बैठक कक्ष और शौचालय के साथ पाँच शयन कक्ष

स्वीकृत कार्य के विस्तृत प्राक्कलन और ड्राईग/डिजाइन से इसकी पुष्टि होती है कि विकास/प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण के स्थान पर एक वृहद सभा कक्ष और रसोई एवं शौचालय के साथ पाँच शयन कक्ष का निर्माण किया गया। इसकी पुष्टि कार्य स्थल के

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी की गई। कार्य स्थल मे कोई सूचना फलक नहीं पाया गया। आगामी जांच मे पता चला कि निर्माण के लिये वर्षा ऋतु सहित 12 माह में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यादेश मार्च 2012 में जारी किया गया किन्तु 20 माह से अधिक के विलम्ब के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका और मात्र ₹ 40.73 लाख (28 प्रतिशत) का व्यय दिसम्बर 2013 तक किया गया।

बी आर जी एफ के तहत् वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत कलेक्टर परिसर में विकास/प्रशिक्षण केंद्र निर्माण का फोटोग्राफ

जवाब में सी.ई.ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत किया गया। तथ्य यह है कि विकास/प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से एक वृहद सभा कक्ष और रसोई और शौचालय के साथ पाँच शयन कक्ष का निर्माण किया जा रहा था।

- कांकेर जिले में कलेक्टोरेट में जन सम्पर्क कार्यालय के निर्माण के लिये ₹ 22.32 लाख की स्वीकृति कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कांकेर को जून 2011 में जारी की गयी। यद्यपि यह कार्य बी आर जी एफ के अन्तर्गत मान्य नहीं था और न ही वार्षिक कार्ययोजना में शामिल था। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कांकेर के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 20 लाख का व्यय करके कार्य को फरवरी 2013 में पूर्ण किया गया।

कांकेर जिले में वर्ष 2011-12 के दौरान बी आर जी एफ के तहत् स्वीकृत कलेक्टर कार्यालय की पहली मंजिल में जन सम्पर्क कार्यालय के निर्माण का फोटोग्राफ

लेखापरीखा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, कांकेर द्वारा कोई विशिष्ट जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.1.10.3 अन्य योजनाओं से क्रियान्वित कार्यो पर बी आर जी एफ निधि का अनियमित स्थानांतरण

सी ई ओ, जिला पंचायतों द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तो के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व होने यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य किसी अन्य योजना के अतंर्गत स्वीकृत अथवा क्रियान्वित नहीं किया गया है और निधि को अन्य कार्यो के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, डोंगरगाँव के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि अटल आवास परिसर मे विद्युतीकरण का कार्य करने के लिए ₹ 5.18 लाख का मांग पत्र जुलाई 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी एस ई बी) से प्राप्त हुआ था। परिषद की बैठक (जुलाई 2007) में लिये गए निर्णय के अनुसार राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि से भुगतान किया जाना था। तदनुसार सी एस ई बी को ₹ 5.18 लाख का भुगतान अगस्त 2007 में किया गया और आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर को मार्च 2008 में ₹ 5.18 लाख का मांग पत्र भेजा गया। जाँच में पता चला कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला पंचायत, राजनांदगाँव से बी आर जी एफ के अंतर्गत उक्त कार्य के लिये राशि ₹ 5 लाख प्राप्त हुई (जुन 2009)। उक्त राशि को वापस किये जाने के स्थान पर अध्यक्ष, नगर पंचायत, डोंगरगांव के आदेशानुसार राशि राज्य वित्त आयोग के खाते में स्थानांतरित कर दी गई जो कि अनियमित एवं बी आर जी एफ के प्रावधानो के विरूद्ध था।

जवाब में सी एम ओ, नगर पंचायत, डोंगरगांव ने बताया (नवम्बर 2013) कि कार्य की अत्यावश्यकता के कारण विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अन्य योजना से भुगतान किया गया और बी आर जी एफ से राशि प्राप्त होने पर इसे समायोजित किया गया। उत्तर मान्य नहीं है। अटल आवास परिसर मे विद्युतीकरण की प्रकिया बी आर जी एफ योजना लागू होने से पहले (मई 2006) चालू किया गया और विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद वार्षिक कार्ययोजना 2008-09 के अंतर्गत प्राप्त निधि से समायोजित किया गया।

4.1.10.4 अनुबंध प्रबंधन

बी आर जी एफ के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन को नगरीय निकायों और लाइन विभाग के द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। नमूना जाँच किये गये जिले में निविदा और अनुबंध प्रबंधन की समीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

- नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में ठेकेदारों के साथ निष्पादित अनुबंध/करारों की शर्तों के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय-अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों से किये गये कार्य के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि दण्ड के रूप मे काटी जायेगी। 19 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 34 कार्य जिसकी अनुबंध लागत ₹ 3.09 करोड़ थी, ठेकेदार नियत तिथि के अन्दर पूर्ण करने में असफल रहा और विलम्ब की अवधि एक से 26 माह के मध्य थी। चूंकि विलम्ब ठेकेदार द्वारा किया गया था अतः दण्ड की राशि ₹ 19.30 लाख वसूली

योग्य थी। हालांकि कोई दण्ड की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया ***(परिशिष्ट 4.5)***।

जवाब मे सी एम ओ, नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा और घरघोड़ा द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2013) कि निर्देश के अभाव में विलम्ब से कार्य के क्रियान्वयन के लिए दण्ड की कटौती नहीं की गई। आयुक्त, नगर निगम, जगदलपुर ने बताया (दिसम्बर 2013) कि क्लॉज 2 के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की समय-अवधि छः माह थी इसलिए दण्ड की राशि नहीं काटी गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार अनुबंध में दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण करने में असफल रहा इसलिये दण्ड अधिरोपित किया जाना था। अन्य 16 क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

- नगर निगम, अंबिकापुर मे ठेकेदार द्वारा छः कार्य जिसकी लागत ₹ 42.47 लाख थी को नियत दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया था और विलम्ब की अवधि तीन से सात माह के मध्य थी। चूंकि ठेकेदार द्वारा कार्य मे विलम्ब किया गया इसलिए दण्ड राशि ₹ 4.39 लाख अधिरोपित किया जाना था। यद्यपि कोई दण्ड की वसूली नहीं की गई परिणामस्वरूप ठेकेदार को राशि ₹ 4.39 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया ***(परिशिष्ट 4.5)*** ।

जवाब मे सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा ने बताया (जनवरी 2014) कि आयुक्त, नगर निगम, अम्बिकापुर को पत्र प्रेषित किया गया है और जवाब प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1.10.5 डी पी सी द्वारा अनुमोदित कार्यों के स्थान पर अन्य निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन

बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों के तहत् वार्षिक कार्ययोजना को डी पी सी व एच पी सी द्वारा अनुमोदित किया जाना है और धन राशि प्राप्ति के पश्चात् सी ई ओ, जिला पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी और पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को स्वीकृतियाँ जारी की जाती है। स्वीकृत आदेश की शर्तो के अनुसार कार्य प्रांरभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत/क्रियान्वयन किया गया है और धन राशि अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कार्य का प्रस्ताव पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों द्वारा संशोधित किया जाना हो तो उसका अनुमोदन कार्य के क्रियान्वयन से पहले डी पी सी से प्राप्त किया जाना चाहिए।

चयनित जिला पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एच पी सी/डी पी सी द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए स्वीकृति राशि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः-

- राजनांदगाँव जिले में कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कागज दोना-पत्तल सिलाई, बुनाई, डेयरी एवं अन्य प्रशिक्षण हेतु अनुमानित लागत ₹ 10 लाख का एक कार्य वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया था और धन राशि आयुक्त, नगर

निगम, राजनांदगाँव को जारी किया गया था। नगर निगम राजनांदगाँव के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि स्वीकृत कार्य के स्थान पर 10 वार्डो में आर सी सी शेड का निर्माण (वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 6, 18, 28, 39, 41, 43 और 45), डी.पी.सी. का अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया गया। पाँच वार्ड में (वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 6 और 18) निर्माण कार्य पूर्ण किये गये और अक्टूबर 2013 तक शेष वार्ड में निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगाँव द्वारा क्रियान्वित कार्यो को डी पी सी और एच पी सी की बैठक में अनुमोदित किया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

- राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत, खैरागढ़ में वर्ष 2011-12 के दौरान यह पाया गया कि बी आर जी एफ के तहत् ग्राम पंचायत बाजगुड़ा में ₹ 3 लाख की लागत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के निर्माण का एक कार्य स्वीकृत किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत बाजगुड़ा के स्थान पर ग्राम पंचायत राहुद में यह कार्य क्रियान्वित किया गया।

जवाब में सी ई ओ, जनपद पंचायत, खैरागढ़ ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (अक्टुबर 2013) कि कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाने के बाद वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किये जाने की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सी ई ओ, जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही इस योजना के तहत कार्य क्रियान्वयन किया जाना था।

- रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में ₹ 10 लाख की लागत से एक कार्य 'महात्मा गाँधी कॉलेज परिसर, खरसिया में फेसिंग कार्य ' नगर पालिका परिषद, खरसिया को स्वीकृत किया गया (जनवरी 2010)। अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व में स्वीकृत कार्य का क्रियान्वयन करने के स्थान पर नगर पालिका परिषद भवन में मरम्मत और रखरखाव कार्य डी पी सी के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया और स्वीकृत राशि ₹ 10 लाख के विरूद्व ₹ 12.58 लाख व्यय किया जिसका विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है:-

तालिका 4.5: स्वीकृत कार्यों के स्थान पर क्रियान्वित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	नगर पालिका परिषद भवन में क्रियान्वित कार्य का नाम	अनुमानित लागत	व्यय
1	टाइल्स फिक्सिंग	3.49	3.28
2	एल्यूमीनियम फिक्सिंग	2.07	5.16
3	पेंटिंग कार्य	3.28	3.49
4	चेकर्स टाइल्स का फिक्सिंग	0.64	0.65
	योग	**9.48**	**12.58**

स्रोतः सी एम ओ, नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार

जवाब में सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, खरसिया ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वीकृत कार्य को निरस्त करने के पश्चात्

अन्य कार्यों को क्रियान्वित कराया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायत से कार्य को निरस्त करने की स्वीकृति और कार्य के क्रियान्वयन के लिए डी पी सी से संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

- बस्तर जिले में नगर निगम, जगदलपुर के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2008-09 के अनुसार 'शिव मंदिर वार्ड क्रमांक-3 में निर्मल पाणीग्रही घर से राजपूत घर तक 200 मीटर सी सी सड़क का निर्माण ' के लिए ₹ 3.05 लाख की स्वीकृति जुलाई 2009 में जारी की गई तथा निविदा आमंत्रण के पश्चात् एक माह के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को नवंबर 2009 में कार्यादेश जारी किया गया। आगे जाँच मे पता चला कि पूर्व अनुमति के बिना उसी वार्ड में 'डोंगाघाट मंदिर से बोरिंग चौक तक ' कार्य क्रियान्वित किया गया तथा ठेकेदार को ₹ 3.04 लाख का भुगतान किया गया।

जवाब में कार्यपालन अभियंता, नगर निगम, जगदलपुर ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (नवंबर 2013) कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के उपरांत जनहित में कार्य को क्रियान्वित किया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कार्यों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए नगर निगम स्वयं सक्षम नहीं है।

- सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान नगर पंचायत, केशकाल में ₹ 12.24 लाख के पाँच कार्यों[30] की स्वीकृति दी गई। जाँच मे पता चला कि उक्त स्वीकृत कार्यों के स्थान पर एक ही प्रकृति के तीन कार्यो (वर्ष 2008-09 में स्वीकृत तीन कार्यों के स्थान पर वार्ड 3 में आर आर मेशनरी कार्य, वार्ड 12 के स्थान पर वार्ड 4 व 5 में आर सी सी नाली तथा उपाध्याय घर से धोबीघर तक सी सी रोड के स्थान पर अब्दुल मनन घर से श्यामल घर तक सी सी रोड) का क्रियान्वयन अन्य स्थलों पर किया गया और एक कार्य (वार्ड 3 में आर आर मेशनरी कार्य) की कार्योत्तर स्वीकृति मार्च 2011 में प्राप्त की गई तथा अन्य दो कार्यों हेतु कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवंबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

- राजनांदगाँव जिले में सी एम ओ, नगर पंचायत, छुईखदान से प्राप्त प्रस्ताव (मई 2010) तथा दो वाटर टैंक के निर्माण के लिए ₹ 12.10 लाख (₹ 6.05 लाख प्रति वाटर टैंक) की प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ₹ 9.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव द्वारा जारी की गई (दिसम्बर 2010) । तदानुसार निविदा आमंत्रण के उपरांत मार्च 2011 मे ठेकेदार से अनुबंध निष्पादित किया गया। माप पुस्तिका और नोटशीट की जाँच में पता चला कि दो वाटर टैंक के स्थान पर ₹ 10.64 लाख[31] की लागत से मात्र एक

[30] वर्ष 2008-09 में आर आर मेशनरी के तीन कार्य वार्ड 12 एवं 13 में भाग 1 व 2 - ₹ 2.83 लाख, वर्ष 2011-12 में वार्ड 12 मे आर सी सी नाली ₹ 6.35 लाख और वर्ष 2012-13 में उपाध्याय घर से धोबी घर तक सी सी सड़क ₹ 3 लाख

[31] प्रथम रनिंग बिल- ₹ 4.26 लाख, द्वितीय रनिंग बिल- ₹ 3.19 लाख एवं अंतिम बिल- ₹ 3.19 लाख

वाटर टैंक का निर्माण कराया गया। आगे जाँच में पता चला कि न तो एक वाटर टैंक के निर्माण के लिए पृथक से प्राक्कलन और ड्राईंग/डिजाइन तैयार किया गया न ही कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की अनुमति डी पी सी से ली गई।

जवाब में सी एम ओ, नगर पंचायत, छुईखदान ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (नवंबर 2013) कि जनता की पानी समस्या को ध्यान मे रखते हुए वाटर टैंक का निर्माण कराया गया तथा उप अभियंता के स्थानांतरण की वजह से ड्राईंग/डिजाइन तैयार नही किया जा सका। आगे यह भी कहा गया कि कार्य स्वीकृत राशि के अंदर क्रियान्वित किया गया इसलिये पुनरीक्षित स्वीकृति नहीं ली गई। जवाब मान्य नहीं है क्योकि वार्षिक कार्ययोजना मे शामिल कार्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये नगर पंचायत स्वयं सक्षम नहीं है।

4.1.10.6 अधिक व्यय

जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के तहत् स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार स्वीकृत कार्य पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

नगरीय निकायों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि सात नगरीय निकायों[32] और दो क्रियान्वयन एजेन्सियों[33] में वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान 26 प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 1.08 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.03 करोड़ जारी किया और राशि ₹ 1.48 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार प्रशासकीय लागत से ₹ 0.40 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। आगे जाँच में पता चला कि अधिक व्यय का भुगतान पूर्ण कार्यों की बचत राशि, अप्रारम्भ कार्यों अथवा अपूर्ण कार्यों की राशि से संबंधित जिला पंचायतों से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया जैसा कि ***(परिशिष्ट 4.6)*** में दिया गया है।

जवाब में सी एम ओ, नगर पंचायत, बोदरी और नगर पालिका परिषद, खरसिया ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (नवंबर और दिसम्बर 2013) कि कुछ प्रकरणों मे निविदा की अधिक प्रतिशत दर तथा जनहित मे अधिक व्यय किया गया। कार्यपालन अभियंता, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, रायगढ़ द्वारा तथ्य को स्वीकारते हुए कहा गया (दिसम्बर 2013) कि सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जबकि कार्यपालन अभियंता, नगर निगम, जगदलपुर ने कहा (नवंबर 2013) कि अधिक व्यय स्वयं के स्रोत से किया गया। कार्यपालन अभियंता, नगर निगम, जगदलपुर का जवाब मान्य नहीं है क्योकि प्रगति प्रतिवेदन और नोटशीट से इसकी पुष्टि होती है कि समस्त भुगतान केवल बी आर जी एफ निधि से किया गया। इस प्रकार अधिक भुगतान पूर्ण कार्यों की शेष राशि अथवा अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई निधि से संबंधित जिला पंचायतों से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया।

---

[32] नगर निगम, जगदलपुर, नगर पालिका परिषद, कांकेर एवं खरसिया, नगर पंचायत, बौदरी, पखांजूर, रतनपुर एवं तखतपुर

[33] वन मण्डल अधिकारी, कांकेर एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रायगढ़

4.1.10.7 निधि का अवरूद्ध रहना

जिला पंचायतों द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष के अंदर अथवा कार्य के क्रियान्वयन हेतु ठेकेदार को जारी कार्यादेश में दी गई समयावधि में पूर्ण किया जाना चाहिए।

चयनित जिलों में क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की समीक्षा में निम्नानुसार पता चलाः-

- **भूमि विवाद की वजह से कार्य का अप्रांरभ रहना**

समय पर कार्य को पूर्ण करने तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व फ्री होल्ड भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 129 क्रियान्वयन एजेंसियों मे से 10 में जिला पंचायतों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान 23 कार्यों की स्वीकृत राशि ₹ 2.31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.90 करोड़ जारी किया गया। हालांकि ₹ 1.48 करोड़ मूल्य के 15 कार्य भूमि विवाद की वजह से प्रांरभ नहीं किये जा सके तथा ₹ 83.35 लाख मूल्य के आठ कार्यों को ₹ 17.52 लाख का व्यय करने के उपरांत भूमि विवाद की वजह से बंद किया गया। इस प्रकार अविवादित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण न केवल निधि अवरूद्ध रही अपितु हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रहे ***(परिशिष्ट 4.7)*** ।

- **कार्य का अप्रारंभ रहना**

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 129 में से 32 क्रियान्वयन एजेंसियों मे यद्यपि जिला पंचायतों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान 104 कार्यों की स्वीकृत राशि ₹ 6.51 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4.98 करोड़ उपलब्ध कराया गया किन्तु उक्त कार्य सात माह से पाँच वर्ष के विलम्ब के बाद भी सरपंच और सचिव द्वारा कार्य मे रूचि न लेने, जनता के विरोध, प्रस्ताव में परिवर्तन, निविदा प्राप्त न होने आदि के कारण प्रारंभ नही किये जा सके ***(परिशिष्ट 4.8)***।

- **अपूर्ण कार्य**

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित जिला पंचायतों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 की अवधि में 80 क्रियान्वयन एजेन्सियों को 1069 कार्य स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत राशि ₹ 57.28 करोड़ के विरूद्ध ₹ 39.47 करोड़ जारी किया गया। हालांकि क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उक्त कार्यों को राशि ₹ 21.67 करोड़ व्यय किये जाने के उपरांत तथा सात माह से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी अति संवदेनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने, सचिव और सरपंच द्वारा रूचि न लेने, न्यायालय मे प्रकरण लंबित होने, कार्य के संशोधन, निविदा प्राप्ति में विलम्ब इत्यादि के कारण पूर्ण नही किये जा सके ***(परिशिष्ट 4.9)*** ।

जवाब मे सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा और रायगढ़ द्वारा लक्ष्य को स्वीकारते हुए कहा गया (अक्टूबर और दिसम्बर 2013) कि क्रियान्वयन एजेन्सियों को कार्य प्रांरभ करने तथा वार्षिक कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव के साथ भूमि विवाद नहीं का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर ने कहा (नवंबर 2013) कि अति संवदेनशील तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने और ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंच द्वारा रूचि न लेने की वजह से कार्य प्रारंभ नही किये जा सके। सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा और कांकेर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014) ।

- **भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश जारी किया जाना**

दन्तेवाड़ा जिले में वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012-13 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटेकल्याण में डॉक्टर क्वार्टर के निर्माण भाग-1 व भाग-2 हेतु ₹ 53.50 लाख की स्वीकृति सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा द्वारा कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दन्तेवाड़ा को अगस्त 2012 में जारी की गई तथा इसके लिए अगस्त 2012 में ₹ 21.40 लाख उपलब्ध कराया गया।

अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि निविदा प्रक्रिया के पश्चात् ठेकेदार को कार्य वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए सात माह मे पूर्ण किये जाने हेतु दिसम्बर 2012 में कार्यादेश जारी किया गया। यह देखा गया कि ठेकेदार को भूमि तथा क्वार्टर का ले आउट नवंबर 2013 में उपलब्ध कराया गया। जिसके परिणाम स्वरूप कार्य पूर्णता की समय सीमा (जून 2013) समाप्त होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नही किया जा सका। इस प्रकार कार्य अवार्ड करने के पूर्व भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कार्य अपूर्ण था। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर आवास सुविधा से वंचित रहे इसके अलावा मकान किराये का अनुचित भुगतान किया गया।

जवाब मे कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दन्तेवाड़ा द्वारा तथ्य की पुष्टि की गई (दिसम्बर 2013) कि कार्य प्रगति में था।

4.1.10.8 निरर्थक/ अनुचित व्यय

आर एस व्ही वाय और बी आर जी एफ दोनों योजना का उद्देश्य पिछड़े जिलों में विकास दर को गतिशील बनाने हेतु मुश्किल अधोसंरचना की कमी को पूरा करना है। इस प्रकार यह आवश्यक था कि योजना को समय पर पूर्ण किया जाये और पूर्णता के तुरंत बाद उनका उपयोग किया जाये।

अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पता चलाः

दन्तेवाड़ा जिले में सी एम ओ, नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (अगस्त 2009) में लिये गये निर्णय के अनुसार नक्सल प्रभावित जिलों में शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण मेसर्स सुवर्णा फाइब्रेटिक प्रायवेट लिमिटेड, पुणे के द्वारा कराया जाना था। तदनुसार कलेक्टर, दन्तेवाड़ा द्वारा 2 नग (40 शौचालय) शौचालय काम्पलेक्स निर्माण किये जाने हेतु ₹ 40.40 लाख का कार्यादेश 15 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया। इसके

उपरांत दन्तेश्वरी मंदिर परिसर और मेढ़का डोबरा मैदान में उपरोक्त शौचालय काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु सी एम ओ, नगर पंचायत, देन्तवाड़ा को ₹ 40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति 29 दिसम्बर 2009 को दी गई। यह अनुचित था क्योंकि शौचालय कॉम्प्लेक्स मंदिर से दूर होना चाहिए। उपरोक्त शौचालय काम्पलेक्स के निर्माण उपरांत फर्म को दो किश्तों में ₹ 28.68 लाख (16 अप्रैल 2010 को ₹ 14.34 लाख एवं 17 अगस्त 2010 को ₹ 14.34 लाख) का भुगतान किया गया। स्थल के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि बी आर जी एफ के तहत् निर्मित शौचालय कॉम्प्लेक्स को तोड़कर मेढ़का डोबरा शहरी सौंदर्यीकरण परियोजना के अंतर्गत दन्तेश्वरी मंदिर परिसर और मेढ़का डोबरा मैदान मे वर्ष 2011-12 के दौरान सौंदर्यीकरण कार्य किया गया। इस प्रकार कलेक्टर के अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से बी आर जी एफ के अंतर्गत ₹ 28.68 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा ने कहा (दिसम्बर 2013) कि शौचालय काम्पलेक्स धार्मिक स्थान पर नही बनाये गये और इनका निर्माण मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उपयोग किये जाने वाले परिसर की साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर किया गया। आगे यह भी कहा गया कि स्थान नगर सौंदर्यीकरण परियोजना में शामिल था इसलिये उक्त निर्मित शौचालय कॉम्प्लेक्स को तोड़कर अन्य आवश्यक निर्माण कराये गये।

- बस्तर जिले में वार्षिक कार्ययोजना 2007-08 के अनुसार जनपद पंचायत बस्तानार के ग्राम पंचायत मूनतपाल में स्टाफ क्वार्टर (दो-दो नग जी एवं एच टाइप) सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिये ₹ 34.85 लाख की स्वीकृति कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग क्रमांक -2, जगदलपुर को फरवरी 2008 में जारी की गई। अभिलेखों की जाँच में पता चला की निविदा पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार को वर्षा ऋतु सहित छः माह मे कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यादेश मई 2010 मे जारी किया गया। हालांकि ठेकेदार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन को छत स्तर तक तथा जी एवं एच टाइप क्वार्टर को छज्जा स्तर तक पूर्ण करने के उपरंात कार्य अगस्त 2012 मे छोड़ दिया गया। दिसम्बर 2012 तक ठेकेदार को चतुर्थ रनिगं बिल तक ₹ 15.76 लाख का भुगतान किया गया। इसके उपरांत शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित किया गया किन्तु नवंबर 2013 तक उक्त कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

जनपद पंचायत बस्तानार के ग्राम पंचायत मूनतपाल के अपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जी टाइप स्टॉफ क्वार्टर का फोटोग्राफ

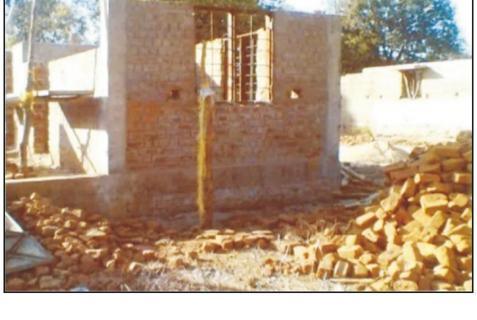

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवंबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर और कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग क्रमांक-2, जगदलपुर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

- बस्तर जिले में वार्षिक कार्ययोजना 2009-10 के अनुसार जनपद पंचायत, बकावण्ड के ग्राम पंचायत, राजनगर में काजू प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण के लिए ₹ 6.90 लाख की स्वीकृति कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जगदलपुर को दिसम्बर 2009 में जारी की गई। निविदा आमंत्रण के उपरांत वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए चार माह में कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को जून 2010 में कार्यादेश जारी किया गया। अभिलेखों की जाँच में पता चला कि चार माह की पूर्णता अवधि के विरूद्ध कार्य वास्तविक रूप से 23 माह के विलम्ब से सितम्बर 2012 मे पूर्ण किया गया। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि भवन का उपयोग विद्युत के अभाव में नवंबर 2013 तक निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु नहीं किया गया।

जनपद पंचायत बकावण्ड के ग्राम पंचायत, राजनगर में वर्ष 2010-11 के दौरान निर्मित काजू प्रोसेसिंग भवन का फोटोग्राफ

जवाब मे कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जगदलपुर ने कहा (नवंबर 2013) कि भूमि के चयन में विलम्ब और ग्रामीणों के विरोध के कारण निर्माण में विलम्ब हुआ। आगे यह भी कहा गया कि भवन अप्रैल 2013 मे उद्यानिकी विभाग को सौंप दिया गया और इसके उपयोग के लिए वे पूर्णतया जिम्मेदार थे। लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर उपसंचालक उद्यान, जगदलपुर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जगदलपुर का जवाब पुष्टि करता है कि स्वतंत्र भूमि के अधिग्रहण के पूर्व कार्यादेश दिये जाने के कारण कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

- रायगढ़ जिलें में वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार जनपद पंचायत, खरसिया के ग्राम पंचायत छोटे देवगांव में उपस्वास्थ केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायगढ़ को राशि ₹ 6.10 लाख की स्वीकृति नवंबर 2007 में जारी की गई तथा राशि भी उपलब्ध कराई गई। अभिलेखों की जाँच में पता चला कि ₹ 2.69 लाख व्यय किये जाने के पश्चात् कार्य को पिलिन्थ स्तर तक पूर्ण किया जा सका। इसके उपरांत सी ई ओ, जिला पंचायत को यह कहते हुए कि कार्य स्थल सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होने के कारण निरस्त किये जाने का प्रस्ताव मई 2013 में प्रस्तुत किया गया । हालांकि स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कार्य स्थल की दूरी सड़क से लगभग 100 फीट थी।

जनपद पंचायत, खरसिया के ग्राम पंचायत, छोटे देवगांव मे वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत अपूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्र का फोटोग्राफ

जवाब मे कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कार्य पिलिन्थ स्तर तक पूर्ण किया गया। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, खरसिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कार्यस्थल सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित था तदनुसार इसे निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया। आगे यह भी कहा गया कि कलेक्टर, रायगढ़ के निर्देशानुसार कार्य को पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है।

4.1.10.9 योजनांतर्गत निर्मित परिसम्पत्ति का अनुपयोगी रहना

दन्तेवाड़ा जिले के सी ई ओ, जनपद पंचायत, गीदम के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 के दौरान सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत, जावंगा में पाँच दुकानों के निर्माण हेतु ₹ 5 लाख की स्वीकृति फरवरी 2008 में जारी की गई। ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 5 लाख के व्यय उपरांत कार्य सितम्बर 2010 मे पूर्ण किया गया। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2013) के दौरान यह देखा गया कि दुकानें बंद थी और दुकानों के आसपास कोई रिहायसी क्षेत्र नही था। यह भी पाया गया कि दुकानें किसी भी हितग्राही को आबंटित नही की गई थी।

जनपद पंचायत, गीदम के ग्राम पंचायत, जावंगा में वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत दुकानें जिनका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु नही किया गया का फोटोग्राफ

जवाब मे सी ई ओ, जनपद पंचायत, गीदम ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कार्य मार्च 2009 में पूर्ण किया गया था किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र वर्ष 2009 में एजूकेशन सिटी के लिए चयन किया गया था। इसलिए दुकानें स्वसहायता समूहों अथवा हितग्राहियों को आबंटित नही की गई। आगे यह भी कहा गया कि दुकानों को अविलम्ब आवंटित किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जायेगा।

फर्म की मांग (संभावित उपयोगकर्ता से अग्रिम भुगतान के रूप मे) का आंकलन किये बिना दुकानों का निर्माण किये जाने से शॉपिंग काम्प्लेक्स के अनुपयोगी/कम उपयोग रहने की संभावना थी। इस प्रकार का कोई प्रयास नही किया गया।

इसी प्रकार जनपद पंचायत, खरसिया में यह देखा गया कि सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत नगोई के पटवारी हल्का नंबर 6 मे पटवारी कार्यालय सह आवास निर्माण हेतु ₹ 3 लाख की स्वीकृति अप्रैल 2010 में जारी की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 3 लाख के व्यय उपरांत कार्य सितम्बर 2011 में पूर्ण किया गया। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि भवन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी द्वारा उपयोग नही किया गया।

जनपद पंचायत, खरसिया के ग्राम पंचायत, नगोई में वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत अनुपयोगी पटवारी कार्यालय सह निवास का फोटोग्राफ

जवाब में सचिव, ग्राम पंचायत, नगोई द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (दिसम्बर 2013)।

4.1.10.10 क्रेडा द्वारा सोलर टास्क लाइट का प्रदाय न किया जाना

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14 के अनुसार सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा द्वारा क्रेडा को 7000 सोलर टास्क लाइट और 1410 स्टडी लैम्प प्रदाय करने हेतु ₹ 56.73 लाख की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि के 80 प्रतिशत (₹ 45.38 लाख) का भुगतान मई 2013 में किया गया।

क्रेडा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन और अभिलेखों की जाँच में पता चला कि छः माह से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी एजेंसी द्वारा सोलर टास्क लाइट तथा स्टडी लैम्प प्रदाय नहीं किया गया। इस प्रकार सोलर टास्क लाइट एवं स्टडी लैम्प प्रदाय न किये जाने से न केवल योजना की निधि अवरूद्ध रही अपितु हितग्राही सोलर टास्क लाईट एवं स्टडी लैम्प का लाभ उठाने से वंचित हुए।

जवाब में कार्यपालन अभियंता, क्रेडा ने कहा (जनवरी 2014) कि सात जनपद पंचायतों में से जनपद पंचायत, बतौली और मैनपाट में सोलर टास्क लाईट एवं स्टडी लैम्प का वितरण किया गया तथा जनपद पंचायत उदयपुर में वितरण हेतु क्रय की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि जनपद पंचायत, बतौली एवं मैनपाट में प्रदाय किये गये सोलर टास्क एवं स्टडी लैम्प का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही छः माह का समय व्यतीत होने के उपरांत भी शेष पाँच जनपद पंचायतों मे प्रदाय नहीं किया गया।

4.1.10.11 परिहार्य दायित्व

वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा सी एम ओ, नगर पंचायत मल्हार को डिन्डेश्वरी तालाब मे पचरी के निर्माण हेतु ₹ 4 लाख की स्वीकृति तथा ₹ 2 लाख जुलाई 2012 मे जारी किया गया।

नगर पंचायत, मल्हार के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि परिषद की बैठक (जुलाई 2013) में लिये गये निर्णयानुसार डिन्डेश्वरी तालाब में पूर्व में ही पचरी का निर्माण किया जा चुका था, अतः इसके स्थान पर नैया तालाब में पचरी निर्माण किया जाये। आगे जाँच में पता चला कि नैया तालाब मे कार्य का क्रियान्वयन किये जाने के बाद सी एम ओ द्वारा सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर से ₹ 4.50 लाख जारी किये जाने का अनुरोध सितम्बर 2013 मे किया गया क्योंकि जनता की माँग और कार्य की आवश्यकता के अनुसार ₹ 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया । हांलाकि जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा अक्टूबर 2013 तक उक्त राशि जारी नहीं की गई। यह भी देखा गया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक ₹ 6.19 लाख के विरूद्ध मात्र ₹2 लाख ही भुगतान किया जा सका (अक्टूबर 2013) । इस प्रकार स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य क्रियान्वित किये जाने से न केवल कार्य का अनियमित क्रियान्वयन किया गया अपितु ₹ 4.19 लाख के अतिरिक्त दायित्व का निर्माण किया गया।

जवाब मे सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा तथ्य को स्वीकारते हुए कहा गया (नंवबर 2013) कि परिषद की बैठक में ली गई अनुमति के उपरांत अन्यत्र स्थान पर कार्य क्रियान्वित किया गया तथा केवल स्वीकृत राशि भुगतान की गई। आगे यह भी कहा गया कि अधिक व्यय राशि को नगर पंचायत निधि से समायोजित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

4.1.10.12 निधि जारी न किये जाने से कार्य का अपूर्ण रहना

बिलासपुर जिले मे वार्षिक कार्ययोजना 2009-10 के अनुसार 10 विकास खण्डों के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों मे 486 वाटर हार्वेस्टिंग कार्य तथा 120 फोर्स लिफ्ट पंपों की स्थापना हेतु क्रमशः ₹ 48 लाख और ₹ 30 लाख की स्वीकृति कार्यपालन अभियंता, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर को जारी की गई। प्रथम किश्त की राशि ₹ 46.80 लाख (60 प्रतिशत) जारी की गई। कार्यों की स्वीकृति एवं पूर्णता की स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 4.6: बी आर जी एफ के अतंर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण/पूर्णता का प्रतिशत	किया गया व्यय	अप्रांरभ/ अपूर्ण कार्य	शेष राशि
1	वाटर हार्वेस्टिंग	486	48.00	321	32.10	165	15.90
2	फोर्स लिफ्ट पंप	120	30.00	60	15.00	60	15.00
योग		**606**	**78.00**	**381 (63प्रतिशत)**	**47.10**	**225**	**30.90**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 486 वाटर हार्वेस्टिंग कार्य के विरूद्ध 321 (63 प्रतिशत) पूर्ण किये गये तथा लोरमी और तखतपुर विकासखण्ड मे कार्य प्रांरभ नहीं किये गये। इसी प्रकार पाँच विकासखण्डों[34] मे अक्टूबर 2013 तक फोर्स लिफ्ट पम्प कार्य प्रांरभ नही किये गये। आगे कार्यपालन अभियंता, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय किश्त जारी न किये जाने के कारण शेष कार्य चार वर्ष उपरांत भी पूर्ण नही किये गये। इस प्रकार बकाया निधि जारी न किये जाने से न केवल कार्य अपूर्ण छोड़े गये अपितु हितग्राही लाभ से वंचित हुए।

लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.10.13 वैट की कटौती न किया जाना

मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के अनुसार यदि शासकीय प्रयोजन हेतु प्रदाय सामग्री और प्रदाय सेवा के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक मे शामिल वैट की राशि ₹ 5,000 से अधिक है तो देयक से वैट राशि की कटौती की जानी चाहिए तथा शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए।

रायगढ़ जिले में वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2011-12 के अनुसार नगर पलिका परिषद, खरसिया एवं नगर पंचायत, किरोड़ीमल नगर को 'बैक हुक लोडर मशीन (जे सी बी)' क्रय करने हेतु स्वीकृत राशि ₹ 19.89 लाख तथा ₹ 23.53 लाख जारी की गई। तदनुसार दोनों विभागों ने 'बैक हुक लोडर मशीन (जे सी बी)' एक फर्म से क्रय किया और फर्म को वैट राशि ₹ 2.22 लाख की कटौती किये बिना ही राशि ₹ 22.92 लाख तथा ₹ 23.80 लाख का भुगतान (फरवरी एवं मार्च 2012) में किया गया।

जवाब में सी एम ओ, नगर पालिका परिषद, खरसिया (दिसम्बर 2013) ने कहा कि निर्देश के अभाव में वैट राशि की कटौती नहीं की गई। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में वैट राशि की कटौती कर चालान के माध्यम से शासकीय खाते में जमा की जायेगी।

इसी प्रकार बिलासपुर जिले में सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2007-08 से 2009-10 के अनुसार सी एम ओ, नगर पंचायत, तखतपुर को विद्युत एवं जल संधारण हेतु स्वीकृत राशि ₹ 20.75 लाख जारी की गई। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विद्युत सामग्री (नवंबर 2008 एवं जुलाई 2009) एवं जल प्रदाय सामग्री जनवरी 2010 में क्रमशः दो फर्मो से क्रय की गई। यद्यपि देयक में वैट राशि ₹ 1.75 लाख शामिल थी, उसकी कटौती किये बिना ही फर्म को राशि ₹ 22.41 लाख का भुगतान कर दिया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा फर्म को वैट राशि जमा किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने तथा जानकारी प्राप्ति के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किये जाने हेतु कहा गया (जनवरी 2014)।

---

[34] गोरेला, कोटा, लोरमी, मरवाही एवं पेण्ड्रा

4.1.11 क्षमता निर्माण अनुदान

बेहतर शासन और सेवा प्रदान करने के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन, निर्णय लेने, क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओ की निगरानी की सुविधा के लिए पंचायतों एवं नगरीय निकायों की क्षमता निर्माण बी आर जी एफ के महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक था। क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना था। क्षमता निर्माण के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण घटक टेलीफोन एवं ई-कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना तथा प्रशिक्षण हेल्प लाइन की स्थापना और रखरखाव इत्यादि थे। क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत प्रत्येक बी आर जी एफ जिले की वार्षिक पात्रता प्रतिवर्ष ₹ 1 करोड़ थी।

क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा उपरांत निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

4.1.11.1 निधि की उपयोगिता

भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान बी आर जी एफ अंतर्गत क्षमता निर्माण मद में एस आई आर डी में स्टूडियो की स्थापना, पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना, सामुदायिक संसाधन केन्द्र, पी टी सी/पी आर सी पर सुविधा प्राप्त करना, कम्प्यूटरों का क्रय, माड्यूल तैयार करना, प्रशिक्षण, हेल्प लाइन सुविधा तथा एस आई आर डी के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 44.76 करोड़ (अन्य प्राप्ति ₹ 10.74 करोड़ एवं बैंक ब्याज ₹ 0.35 करोड़ को मिलाकर) जारी किया गया जिसे एस आई आर डी, निमोरा को प्रदाय किया गया। मार्च 2013 तक राशि ₹ 44.46 करोड़ (99 प्रतिशत) का उपयोग **तालिका 4.7** में दिये गये विवरणानुसार किया गया।

तालिका 4.7: वर्ष 2007-13 के दौरान क्षमता निर्माण निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	अन्य प्राप्तियां	बैंक ब्याज	कुल उपलब्धता	व्यय
2007-08	0.00	4.42	0.00	0.11	4.53	4.15
2008-09	0.38	2.73	0.002	0.012	3.12	0.10
2009-10	3.02	0.96	0.010	0.070	4.06	3.09
2010-11	0.98	7.16	0.018	0.012	8.16	7.10
2011-12	1.06	7.17	2.71	0.056	10.99	10.76
2012-13	0.23	11.23	8.00	0.087	19.55	19.25
योग		**33.66**	**10.74**	**0.35**	**50.41**	**44.46**

स्रोतः- एस आई आर डी द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान क्षमता निर्माण अंतर्गत कुल उपलब्ध निधि ₹ 50.41 करोड़ के विरूद्व व्यय ₹ 44.46 करोड़ था।

बी आर जी एफ के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा के दौरान निम्नानुसार अनियमितताओं का पता चलाः

- **असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्रो का प्रस्तुतीकरण एवं अग्रिम को अनियमित रूप से अंतिम व्यय दर्शाया जाना**

एस आई आर डी द्वारा दी गई जानकारी में यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों के लिये कार्य योजना तैयार किये जाने तथा निर्वाचित सदस्यों/अमले को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु राशि ₹ 28.42 करोड़ अग्रिम के रूप में प्रदाय की गई थी और संपूर्ण राशि को व्यय दर्शाया गया। जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायो को जारी राशि तथा वास्तविक उपयोगिता की स्थिति नीचे दर्शाये अनुसार थी:

तालिका 4.8: वर्ष 2007-13 के दौरान प्रशिक्षण हेतु क्षमता निर्माण निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्ति	व्यय	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
2007-08	3.20	3.20	0.00
2008-09	0.50	0.50	0.00
2009-10	24.38	24.38	24.38
2010-11	450.78	450.78	228.77
2011-12	769.82	769.82	265.46
2012-13	1593.70	1593.70	799.59
योग	**2842.38**	**2842.38**	**1318.14**

स्रोतः एस आई आर डी द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान एस आई आर डी द्वारा जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों को जारी कुल राशि ₹ 28.42 करोड़ को पूर्णतया उपयोग दर्शाया गया। यद्यपि राशि ₹ 15.06 करोड़ (53 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र नवंबर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए थे। आगे सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान प्राप्त राशि ₹ 5.66 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.04 करोड़ का व्यय दिसम्बर 2013 तक नहीं किया गया। जबकि अन्य छः जिलों द्वारा कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अग्रिम राशि को अंतिम व्यय दर्शाया गया।

4.1.11.2 सेटकाम की स्थापना में विलम्ब तथा सिट्स का अक्रियाशील रहना

बी आर जी एफ जिलों के समस्त जनपद पंचायतों पर सेटेलाइट के माध्यम से डाउन लिंकिंग तथा अप लिंकिंग सुविधा प्रणाली की स्थापना तथा रिटर्न वीडियो/टीचिंग एवं आडियो सुविधाओं की उपलब्धता के उद्देश्य से मेसर्स अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड बैंगलोर (इसरो) को एस आई आर डी हेतु 115 स्थलो में सेटेलाइट कम्यूनिकेशन (सेटकाम) की स्थापना (जनपद स्तर पर 110 तथा जिला स्तर पर 5) के लिए राशि ₹ 399.77 लाख का भुगतान मार्च 2008 मे किया गया। पंचायत संसाधन केन्द्रों पर सिविल अधोसंरचना के निर्माण में विलम्ब होने की वजह से सेटकाम के अंतर्गत

115 स्थलों में सेटेलाइट इन्टरेक्टिव टर्मिनल्स (सिट्स) की स्थापना दो वर्ष से अधिक समायोपरांत फरवरी एवं मई 2010 के मध्य की गई।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 53,011 प्रतिभागियों के लिए 175 दिवसों के 20[35] प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। यह देखा गया कि प्रथम प्रशिक्षण सत्र (3 से 19 मई 2010) में 46 सिट्स पूर्णतः संचालित नहीं हो रहे थे और इसी तरह की समस्या का सामना आगामी प्रशिक्षण सत्र (16 से 19 अगस्त 2010) के दौरान किया गया जहाँ मात्र 55 से 65 सिट्स स्टुडियो के रिमोट साइट से जुड़े पाये गये तथा आडियो एवं वीडियो के साथ रिमोट साइट का ट्रान्समिशन मात्र आठ से 31 सिट्स में पाया गया। आगे जाँच में पाया गया कि इसरो द्वारा बैण्डविड्थ की वृद्धि न किये जाने के कारण सभी स्थापित सिट्स को एक साथ नहीं जोड़ा जा सका जैसा कि एस आई आर डी द्वारा अप्रैल 2011 में प्रतिवेदित किया गया। इसके अतिरिक्त एस आई आर डी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 28 सिट्स अभी भी संचालित नहीं हो रहे थे तथा जनपद पंचायत, सुकमा (दन्तेवाड़ा) के पंचायत संसाधन केन्द्र में नवंबर 2013 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार सभी सिट्स के संचालित न होने से न केवल योजना की निधि अवरूद्ध रही अपितु हितग्राही आडियो/वीडियो सुविधा के माध्यम से प्रशिक्षण के लाभ से भी वंचित रहे।

जवाब में संयुक्त संचालक, एस आई आर डी द्वारा कहा गया (फरवरी 2014) कि सिट्स की कनेक्शन समस्या के सुधार हेतु वेण्डर के साथ विभाग द्वारा ऑनलाइन कॉल लॉग किया गया किन्तु इसरो/अंतरिक्ष कार्पोरेशन और वेण्डर के बीच वार्षिक संधारण अनुबंध के समाप्त हो जाने की वजह से वेण्डर द्वारा सेटकॉम के उपकरणों के सुधार का कार्य नहीं किया गया। आगे यह भी कहा गया कि उपकरणों की सुरक्षा तथा सेटकॉम कार्यालय का प्रशासन संबंधित सीईओ, जनपद पंचायत के हाथ में है। कुछ संसाधन केन्द्रो में स्थापित उपकरण चोरी हो गये थे जिनकी एफ आई आर संबंधित सी ई ओ द्वारा दर्ज करायी गयी।

4.1.11.3 पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायो के अमले तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों/अमले का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था।

बी आर जी एफ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के अमले तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजन के लिए एच पी सी द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक बी आर जी एफ जिले के लिए निधि प्रशिक्षण कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के अमले व निर्वाचित प्रतिनिधियों जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है के लक्ष्य का अनुमोदन किया जाता है।

[35] वर्ष 2010-11 मे 17376 प्रतिभागियों के लिए 61 दिवस के 6 सत्र वर्ष 2011-12 मे 15023 प्रतिभागियों के लिए 44 दिवस के 6 सत्र एवं वर्ष 2012-13 मे 20612 प्रतिभागियों के लिए 70 दिवस के 8 सत्र

अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि नगरीय निकायो के अमले तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिये गये प्रशिक्षण की पूर्ति (6745 प्रशिक्षणार्थी) निर्धारित लक्ष्य (5795 प्रशिक्षणार्थी) से अधिक थी। इसके विपरीत पंचायती राज संस्थाओं के अमले एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 4.95 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 2.36 लाख (48 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया जा सका।

जवाब में संयुक्त संचालक, एस आई आर डी द्वारा कहा गया (नवंबर 2013) कि समय पर निधि की प्राप्ति न होने, पंचायत चुनाव तथा ग्राम सुराज व कृषि कार्य अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विलम्ब होने के कारण प्रशिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी।

4.1.11.4 हेल्पलाइन/टोल फ्री नम्बर की स्थापना तथा संधारण

संचालक, एस आई आर डी (रायपुर) द्वारा जारी निर्देश (सितम्बर 2012) के अनुसार बी आर जी एफ के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत प्रत्येक बी आर जी एफ जिले में हेल्पलाईन/टोल फ्री नम्बर की स्थापना के प्रावधान का अनुमोदन वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012-13 में किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए हेल्पलाईन/ टोल फ्री नम्बर की स्थापना नमूना जाँच किये गये जिलों में नहीं की गई।

नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि हेल्पलाईन/टोल फ्री नंबर की स्थापना मात्र चार नमूना जाँच जिलों[36] में की गई। शेष तीन जिलों[37] में एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से दिसम्बर 2013 तक इसे स्थापित नहीं किया गया। आगे जाँच में पाया गया कि रायगढ़ में हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर हेतु ₹ 24,827 का भुगतान किया गया किन्तु लॉग बुक का संधारण नहीं पाया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर एवं दन्तेवाड़ा द्वारा तथ्य को स्वीकारते हुए (नवंबर एवं दिसम्बर 2013) हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर की स्थापना की प्रक्रिया प्रगतिरत होने का उल्लेख किया। सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि लॉग बुक का संधारण नहीं किया गया।

4.1.11.5 हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर के लिए सलाहकार की नियुक्ति

संचालक, एस आई आर डी, रायपुर द्वारा हेल्पलाईन/टोल फ्री नंबर के संचालन एवं रख रखाव हेतु ₹ 15,000 के निश्चित मासिक मानदेय पर सलाहकार की नियुक्ति हेतु सितम्बर 2012 में निर्देश जारी किये गये। तदनुसार जिलों द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरम्भ की गई।

नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि दिसम्बर 2013 तक मात्र दो जिलों[38] में सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। आगे जाँच में पाया गया कि राजनांदगाँव जिले में सलाहकार की नियुक्ति दिसम्बर 2012 में की गई थी

---

[36] बिलासपुर- जुलाई 2013, कांकेर- अक्टूबर 2012, रायगढ़- जनवरी 2013 तथा राजनांदगाँव- अक्टूबर 2013

[37] बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं सरगुजा

[38] बिलासपुर एवं राजनांदगाँव

किन्तु हेल्पलाईन/टोल फ्री नंबर की स्थापना अक्टुबर 2013 में की गई। जिसके परिणाम स्वरूप हेल्पलाईन सलाहकार के वेतन पर ₹ 1.35 लाख का अनुचित व्यय किया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर एवं रायगढ़ ने कहा (नवबंर एवं दिसम्बर 2013) कि पात्र उम्मीदवारों की गैर भागीदारी की वजह से सलाहकार नियुक्त नहीं किये गये। सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि हेल्पलाईन/टोल फ्री नंबर संचालन में था तथा सलाहकार की सेवायें बी आर जी एफ एवं हेल्पलाइन के अंतर्गत उपयोग की जा रही थी। तथ्य यह है कि हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर की स्थापना सलाहकार की नियुक्ति के 9 माह बाद की गई जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान सलाहकार की सेवायें हेल्पलाईन के लिये नहीं ली गई।

4.1.11.6 निष्क्रिय व्यय

एचपीसी की बैठक (जून 2012) में लिये गये निर्णय 'क्षमता निर्माण के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराना' के अनुसार सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा बस्तर जिले के 12 विकासखंडों के ग्राम पंचायतों में वितरण के लिए ₹ 43,340 प्रति सेट की दर से 135 नग कम्प्यूटर सामग्री (डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं यूपीएस) प्रदाय करने हेतु एक फर्म को कार्यादेश मार्च 2013 में जारी किया गया।

अभिलेखों की जाँच के दौरान जनपद पंचायत, बकावण्ड में यह पाया गया कि यद्यपि फर्म द्वारा 15 कम्प्यूटर सामग्रियों का प्रदाय मार्च 2013 में कर दिया गया किन्तु उनका वितरण ग्राम पंचायतों को नवंबर 2013 तक नहीं किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 58.51 लाख का भुगतान फर्म को पहले ही (अप्रैल 2013) कर दिया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर सामग्रियों का वितरण न किये जाने से न केवल योजना की निधि अवरूद्ध रही अपितु योजना के उद्धेश्यो की पूर्ति भी विफल रही।

जनपद पंचायत-बकावण्ड में फर्म द्वारा 30 मार्च 2013 को प्रदाय 15 कम्प्यूटर की फोटो जो अप्रयुक्त पड़े थे

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि कम्प्यूटरों की स्थापना को सुनिश्चित किया जायेगा।

4.1.12 ठेका देने में कमियाँ

राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश (अप्रैल 2011) के अनुसार कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की वित्तीय शक्तियाँ किसी भी कार्य की

तकनीकी स्वीकृति हेतु ₹ 50 लाख तक है और इसके पश्चात् अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ₹ 2 करोड़ तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु सशक्त है। इसी प्रकार की वितीय सीमा लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के लिए भी निर्धारित की गई है। निर्माण विभाग मैनुअल भी उच्चाधिकारियों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन से बचने के लिए प्राक्कलन को टुकड़े में बाँटने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसम्बर 2007) के अनुसार ₹ 20 लाख एवं अधिक मूल्य के कोई भी कार्य की निविदा केवल ई-टेण्डर के माध्यम से की जानी चाहिए।

निविदा प्रक्रिया की समीक्षा के बाद निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

- रायगढ़ जिले में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ द्वारा एक कार्य 'रायगढ़ में कैलो नदी फ्रन्ट विकास के अंतर्गत आर डी चैन क्रमांक 0 से 680 मीटर में रिटर्निंग वाल का निर्माण' की प्राक्कलित राशि ₹ 269.66 लाख की उच्चाधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से बचने के लिए छः हिस्सो में (0 से 130 मीटर ₹ 47.54 लाख, 130 से 230 मीटर ₹ 49.84 लाख, 230 से 320 मीटर ₹ 48.58 लाख, 320 से 460 मीटर ₹ 49.91 लाख, 460 से 600 मीटर ₹ 47.39 लाख एवं 600 से 680 मीटर ₹ 26.40 लाख) विभक्त किया गया तथा व्यापक प्रचार से बचने के लिए कार्य को विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि डीपीसी की बैठक में लिये गये निर्णय 'जलस्तर की कमी एवं बाढ़ के दौरान क्षति को रोकना' के अनुसार तथा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य स्वीकृत किया गया। जवाब मान्य नही हैं क्योंकि कार्यपालन अभियंता तकनीकी स्वीकृति के लिए सक्षम नहीं था।

- राजनांदगाँव जिले में कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उच्चाधिकारियो की तकनीकी स्वीकृति से बचने के लिए अनुमानित लागत ₹ 1 करोड़ के कार्य 'डोंगरगढ़ मंदिर परिसर में ऊपर एवं नीचे सीढ़ियों पर शेड का निर्माण' को तीन भागों में (₹ 39.03 लाख, ₹ 37.35 लाख एवं ₹ 23.62 लाख) विभाजित कर शासकीय निर्देशों के विपरीत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि डीपीसी एवं एचपीसी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई किन्तु कार्य को विभाजित किये जाने के संबंध में विशेष जवाब नहीं दिया गया।

- दन्तेवाड़ा जिले में उच्चाधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से बचने के लिए कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दो कार्यों 'शासकीय आवासीय कॉलोनी, मांझीपदर में बाउन्ड्री वाल का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 64.28 लाख' को तीन भागो में (₹ 21.36 लाख, ₹ 21.36 लाख एवं ₹ 21.56 लाख) तथा 'दन्तेवाड़ा में ट्रांजिट छात्रावास का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 63 लाख' को दो

भागो में (₹ 31.50 लाख एवं ₹ 31.50 लाख) विभाजित करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। दो कार्य पूर्ण कर लिया गया जबकि अन्य शेष कार्य दिसम्बर 2013 तक अपूर्ण थे।

जवाब में कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दन्तेवाड़ा ने कहा (दिसम्बर 2013) कि शासकीय आवसीय कॉलोनी, मांझीपदर में वाउन्ड्री वॉल निर्माण हेतु सीईओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा द्वारा तीन भागो में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। तदनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। सी ई ओ, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब से बचने के लिए कार्यो को विभाजित कर स्वीकृति जारी की गई थी।

- बस्तर जिले में जनपद पंचायत, बकावण्ड की ग्राम पंचायत, मूली के करंजी ग्राम के पास भोरिया नाला में मध्यम पुल के निर्माण हेतु राशि ₹ 28.50 लाख की स्वीकृति कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग क्रमांक-1, जगदलपुर को जारी (मई 2012) की गई। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्य को दो भागों (₹ 17.14 लाख एवं ₹ 10.34 लाख) में विभाजित कर सामान्य निविदा के माध्यम से कार्य को क्रियान्वित कराया गया। इस प्रकार कार्यो को विभाजित कर ई-टेण्डरिंग से बचा गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवंबर 2013) सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (जनवरी 2014)।

- दन्तेवाड़ा जिले में कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दन्तेवाड़ा एवं कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दन्तेवाड़ा के अभिलेखो की जाँच के दौरान यह देखा गया कि छः प्रकरणों[39] में प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि ₹ 20 लाख से अधिक थी। इन कार्यो को शासकीय आदेश के विपरीत ई-टेण्डरिंग के स्थान पर लघु अवधि की निविदा आमंत्रित कर क्रियान्वित किया गया।

जवाब में कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दन्तेवाड़ा ने कहा (दिसम्बर 2013) कि जिला अत्याधिक संवदेनशील है और ठेकेदार ई-टेण्डरिंग में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ नहीं है तथा कार्य की आवश्यकता की वजह से कार्यो को लघु अवधि निविदा आमंत्रित कर क्रियान्वित कराया गया जबकि कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिक सेवा, दन्तेवाड़ा द्वारा विशेष जवाब नहीं दिया गया।

4.1.13 निरीक्षण, निगरानी एवं मूल्यांकन

4.1.13.1 गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का गठन न किया जाना

बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.13 में जिला स्तर पर डीपीसी द्वारा एक समीक्षा समिति का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि समिति में आठ से 10 सदस्यों से

[39] शासकीय आवासीय कालोनी, मांझीपदर में बाउन्ड्रीवाल भाग-1 ₹ 21.36 लाख, भाग-2 ₹ 21.36 लाख, भाग-3 ₹ 21.56 लाख, दन्तेवाड़ा मे ट्रांजिट छात्रावास भाग-1 ₹ 31.56 लाख, भाग-2 ₹ 31.56 लाख एवं जिला अस्पताल दन्तेवाड़ा में ट्रांजिट छात्रावास ₹ 36.63 लाख

अधिक नहीं होंगे। इसकी अध्यक्षता जिला में रोटेशन के आधार पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुख व्यक्ति द्वारा की जायेगी। समीक्षा समिति पंचायतों द्वारा तैयार की गई पीयर रिव्यू प्रतिवेदन की जाँच की जाना चाहिए। बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों के कंडिका 4.14 में बी आर जी एफ कार्यों के निरीक्षण हेतू शेड्यूल तैयार किये जाने तथा कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु गुणवत्ता प्रणाली गठित करने का प्रावधान है। एचपीसी निगरानी प्रणाली के क्रिया-कलापों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी है।

कार्यों की जाँच का शेड्यूल नहीं बनाया गया तथा गुणवत्ता निगरानी प्रणाली संस्थापित नहीं की गयी।

समस्त नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि न तो बी आर जी एफ के लिए डीपीसी द्वारा जिला स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया न ही कोई गुणवत्ता निगरानी प्रणाली किसी भी नमूना जाँच किये गये जिलों में दिसंबर 2013 तक लागू की गई।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर एवं कांकेर ने कहा (नवंबर 2013) कि बी आर जी एफ के कार्यों की निगरानी अन्य योजनाओं के साथ जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से की जाती थी। सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा ने कहा (नवंबर एवं दिसंबर 2013) कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी नियमित रूप से समय सीमा एवं मासिक बैठकों के माध्यम से की जाती थी। सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर एवं राजनांदगांव ने कहा (अक्टूबर एवं नवंबर 2013) कि बी आर जी एफ हेतु पृथक से समीक्षा समीति का गठन किया गया था।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण मे मात्र योजनांतर्गत प्राप्त एवं उपयोग की गई निधियों की स्थिति पर चर्चा की गई और समयसीमा,मासिक बैठकों और गठित पृथक समीक्षा समिति के माध्यम से बी आर जी एफ के अंतर्गत कार्यों की निगरानी किये जाने के समर्थन मे कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

4.1.13.2 निचले स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण और सतर्कता

बी आर जी एफ के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.15 में पंचायतों और नगरीय निकायों में बी आर जी एफ कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण साथ ही साथ ग्राम/वार्ड स्तर सतर्कता तथा निगरानी समिति की भूमिका और क्रियाकलाप का प्रावधान है। इसके अलावा नवंबर 2009 मे आयोजित एचपीसी की बैठक के अनुपालन मे भारत शासन, पंचायती राज मंत्रालय को जून 2011 मे आयोजित एचपीसी की बैठक के कार्यवाही विवरण के साथ यह प्रतिवेदत किया गया कि बी आर जी एफ अंतर्गत क्रियान्वयित कार्यों हेतु सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के साथ किया जा रहा था।

नमूना जाँच किये गये 140 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि बी आर जी एफ कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण मात्र 10 ग्राम पंचायतों मे किया गया। यद्यपि 86 ग्राम पंचायतों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण किया गया किंतु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये और 44 ग्राम पंचायतों में बी आर जी एफ कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण दिसंबर 2013 तक नहीं कराया गया।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, रायगढ़ ने तथ्य स्वीकारते हुऐ कहा (दिसंबर 2013) कि सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के साथ आयोजित किया जायेगा। सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा ने कहा (अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2013) कि मनरेगा के साथ सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर और सरगुजा ने कहा (अक्टुबर 2013 एवं जनवरी 2014) कि राज्य शासन द्वारा पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे। उपरोक्त जवाब इसकी पुष्टि करता है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं की गई यद्यपि भारत शासन को यह प्रतिवेदित किया गया कि बी आर जी एफ अंतर्गत क्रियान्वित कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के साथ आयोजित किया जा रहा था।

4.1.13.3 पारदर्शिता के मानक

लाइन विभाग एवं नगरीय निकायों द्वारा बी आर जी एफ के क्रियान्वित कार्यों के लिए पारदर्शिता फलक नहीं लगाये गये।

बी आर जी एफ दिशा-निर्देशो की कंडिका 4.15 में कार्य स्थल पर पारदर्शिता फलक प्रदर्शन जिसमें योजना का नाम, कार्य का नाम और अन्य विवरण दर्शाये जाने का प्रावधान है ताकि स्थानीय लोग योजना के बारे में जान सके। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत को सार्वजनिक रूप से स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्णता तिथि को प्रदर्शन किया जाना है।

अभिलेखों की जाँच और 40 कार्य स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि पारदर्शिता फलक 30 ग्राम पंचायतों के कार्य स्थलों पर लगे थे। छः लाइन विभाग तथा चार नगरीय निकायों के कार्य स्थलों पर पारदर्शिता फलक नहीं पाये गये थे।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि कार्य स्थल पर पारदर्शिता फलक लगाना सुनिश्चित किया जायेगा और सी ई ओ, जिला पंचायत रायगढ़ ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कार्य स्थल पर पारदर्शिता फलक लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगाँव एवं सरगुजा द्वारा जनवरी 2014 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये।

4.1.13.4 योजना का मूल्यांकन

राज्य शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन नहीं कराया गया।

बी आर जी एफ योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में योजना के अलावा मुश्किल अधोसंरचना और अन्य विकास के अंतराल को कम करते हुए पिछड़े क्षेत्रो में योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक था। नमूना जाँच किये गये जिलो में यह देखा गया कि दिसम्बर 2013 तक कोई मूल्यांकन अध्ययन आयोजित नहीं किया गया। ऐसे मूल्यांकन के अभाव में योजना के तहत क्षेत्रवार विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

जवाब में सी ई ओ, जिला पंचायत, बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर और रायगढ़ ने कहा (नवंबर एवं दिसम्बर 2013) कि राज्य शासन से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया। सी ई ओ, जिला पंचायत, राजनांदगाँव ने कहा (दिसम्बर 2013) कि मासिक बैठक के दौरान पिछड़ेपन सूचकांक

की समीक्षा की जाती थी। सी ई ओ, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा यह जानकारी दी गई कि पिछड़ेपन का प्रतिशत आठ से 25 प्रतिशत घट गया किन्तु मूल्यांकन के मानदण्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। सी ई ओ, जिला पंचायत, सरगुजा द्वारा जनवरी 2014 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.14 निष्कर्ष

नमूना जाँच किये जिलों में अमान्य कार्यों पर राशि ₹ 21.69 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

बी आर जी एफ का केन्द्रीय उद्देश्य सभी योजनाओं और कार्यक्रम से अभिसरण के माध्यम से तथा नीचे स्तर पर भागीदारी के साथ एकीकृत जिला योजना की तैयारी से पिछड़े क्षेत्रो में चारों ओर बड़ा बदलाव लाना था। पिछड़ेपन एवं विकास के लापता बुनियादी ढांचे के कारणों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण नहीं कराया गया जिसकी वजह से नियोजन प्रक्रिया अप्रासांगिक थी। गाँव, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड और जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन की कमी थी। बी आर जी एफ के तहत वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं से शायद ही परामर्श किया गया और शहरी क्षेत्रो में वार्ड सभा से कभी भी परामर्श नहीं किया गया। संस्थागत व्यवस्था के साथ ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में व्यवसायिक समर्थन का भी अभाव था। योजना तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता संस्थाओ को शामिल किये जाने के बाबजूद वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी में विलम्ब और वार्षिक कार्ययोजना में अमान्य कार्यो को शामिल किये जाने संबंधी कमियाँ पायी गई। योजना निधि के व्यपवर्तन और सावधि खातों में जमा के साथ ही ब्याज रहित खातों में निधि को जमा किया जाना भी देखा गया। योजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता जाँच के अभाव, अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और पूर्ण योजनाओं के गैर उपयोग के कारण भी प्रभावित हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अमले आदि के प्रशिक्षण में कमी की वजह से मानव पूँजी निर्माण में कमी हुई। निगरानी अपर्याप्त थी। डीपीसी की भूमिका बी आर जी एफ के लिए योजना के अनुमोदन तक सीमित थी और डीपीसी को मार्गदर्शन, एकीकृत जिला योजना को तैयार करने, निगरानी और परिणाम के मूल्यांकन के लिए तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन शायद ही उपलब्ध थे। सामाजिक अंकेक्षण और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायो के निष्पादन की समीक्षा के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं था।

4.1.15 अनुशंसायें

- परिप्रेक्ष्य योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विकास में महत्वपूर्ण कमी की पहचान करने के किये ग्राम सभा और वार्ड सभा को शामिल किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्य योजना की समय पर तैयारी भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- बी आर जी एफ के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर संस्थागत व्यवस्था और व्यावसायिक समर्थन एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- वित्तीय प्रबंधन को निधि के विलम्ब से हस्तांतरण और व्यपवर्तन की जाँच हेतु सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- स्वतंत्र और सक्षम संस्था/एजेन्सी को कार्यक्रम के परिणाम के मूल्यांकन का कार्य बहुमूल्य सुझाव हेतु सौंपा जाना चाहिए।